

(केवल सरकारी प्रयोग हेतु)



सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2014-2015

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

विषय सूची

| क्रम संख्या | विषय | पृष्ठ |
|-------------|---|-------|
| 1. | पृष्ठभूमि एवं परिचय | 1 |
| 2. | योजना विभाग-स्टाफ स्थिति | 1 |
| 3. | संगठनात्मक ढांचा | 2 |
| 3.1. | राज्य योजना बोर्ड | 2 |
| 3.2. | मुख्यालय | 4 |
| | (I) प्रशासन प्रभाग | 5 |
| | (II) योजना प्रारूपण प्रभाग | 5-6 |
| | (III) योजना कार्यान्वयन | 6-8 |
| | (IV) पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना | 8-10 |
| | (V) क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग | 10-12 |
| | (VI) जन शक्ति एवं रोजगार प्रभाग | 12 |
| | (VII) बाह्य सहायता परियोजना प्रभाग | 12-17 |
| | (VIII) कौशल विकास प्रभाग | 17-18 |
| | (IX) नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि प्रभाग | 18-22 |
| | (X) 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग | 23-25 |
| | (XI) रेलवे प्रभाग | 25-28 |
| | (XII) मूल्यांकन प्रभाग | 28 |
| | (XIII) विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग | 29-30 |
| | (XIV) कम्प्यूटर प्रभाग | 30-31 |
| 3.3. | जिला कार्यालय | 31-32 |
| 4. | सूचना का अधिकार नियम 2005 | 33-39 |

1. पृष्ठभूमि एवं परिचय

योजना विभाग का दायित्व योजना प्राथमिकताओं एवं सकल योजना परिव्यय को निर्धारित करना, विभिन्न घटकों / सेवाओं के लिए धनराशि चिन्हांकित करना तथा पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं को तैयार करना है । इसके अतिरिक्त योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन करना, विकेन्द्रीकृत नीति को बढ़ावा देना, योजना स्कीमों की नियमित समीक्षा, बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विश्लेषण और नाबाई से निधि प्राप्त आर.आई.डी.एफ. योजनाओं का कार्यान्वयन आदि कार्य योजना विभाग द्वारा किये जा रहे हैं । योजना विभाग द्वारा जन-शक्ति एवं रोजगार सृजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा, प्रदेश में रेल विस्तार, इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है ।

2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति

| क्र० सं० | पद नाम | स्वीकृत पद | भरे गए पद | रिक्त पद |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | अध्यक्ष, रोजगार सृजन एवं संसाधन जुटाओ | 1 | 1 | 0 |
| 2. | अध्यक्ष, 20-सूत्रीय कार्यक्रम | 1 | 1 | 0 |
| 3. | उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड | 1 | 1 | 0 |
| 4. | सलाहकार (योजना) | 1 | 1 | 0 |
| 5. | संयुक्त निदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 6. | उप-निदेशक | 6 | 6 | 0 |
| 7. | अनुसंधान अधिकारी/जिला योजना अधिकारी | 20 | 19 | 1 |
| 8. | साख योजना अधिकारी | 10 | 10 | 0 |
| 9. | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 17 | 11 | 6 |
| 10. | सांख्यिकीय सहायक | 21 | 9 | 12 |
| 11. | गणक | 6 | 3 | 3 |
| 12. | कार्यक्रम योजना अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 13. | सिस्टम एनालिस्ट | 1 | 0 | 1 |
| 14. | प्रोग्रामर | 1 | 0 | 1 |
| 15. | गणक संचालक | 2 | 2 | 0 |
| 16. | निजि सचिव | 1 | 0 | 1 |
| 17. | निजि सहायक | 2 | 2 | 0 |
| 18. | वरिष्ठ आशुलिपिक | 1 | 1 | 0 |
| 19. | कनिष्ठ आशुलिपिक | 6 | 5 | 1 |
| 20. | आशुतंकक | 12 | 3 | 9 |
| 21. | अधीक्षक श्रेणी-। | 1 | 0 | 1 |
| 22. | अधीक्षक श्रेणी-।। | 1 | 1 | 0 |
| 23. | वरिष्ठ सहायक | 20 | 20 | 0 |
| 24. | कनिष्ठ सहायक | 3 | 2 | 1 |
| 25. | लिपिक | 13 | 11 | 2 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 26. | प्रतिलिपि यन्त्र चालक | 1 | 1 | 0 |
| 27. | चालक | 5 | 5 | 0 |
| 28. | चपड़ासी | 20 | 20 | 0 |
| 29. | चौकीदार | 1 | 1 | 0 |
| 30. | फ्राश | 1 | 1 | 0 |
| 31. | जमादार | 1 | 1 | 0 |
| 32. | सफाई कर्मचारी | 1 | 1 | 0 |
| | कुल | 180 | 141 | 39 |

* : राज्य योजना बोर्ड तथा 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्षों के वेतन व भत्तों के बारे में सरकार द्वारा उनके मनोनीत होने के समय पर निर्णय लिया जाता है ।

3. संगठनात्मक ढांचा

योजना विभाग के संगठनात्मक ढांचे का विवरण निम्न है:-

1. राज्य योजना बोर्ड ।
2. मुख्यालय
3. जिला कार्यालय ।

3.1. राज्य योजना बोर्ड:

सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करके राज्य योजना बोर्ड का गठन प्रदेश सरकार द्वारा 12 फरवरी, 2013 को किया गया ।

I. राज्य योजना बोर्ड की संरचना:

- (i) अध्यक्ष-माननीय मुख्यमंत्री
- (ii) गैर-सरकारी सदस्य

1. समस्त केबिनेट मंत्री, हिमाचल प्रदेश ।
2. हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित समस्त सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) - अलग से अधिसूचित ।
3. किसान, उद्योग एवं व्यापार, अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के एक-एक प्रतिनिधि - अलग से अधिसूचित ।
4. भूतपूर्व सांसद/विधायक एवं वर्तमान विधायक - अलग से अधिसूचित ।
5. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/सरकारी अधिकारी-अलग से अधिसूचित ।

(iii) **सरकारी सदस्य**

1. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रशासनिक सचिव
3. हिमाचल प्रदेश में समस्त सरकारी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति

(iv) **पदेन सदस्य (Ex Officio)**

1. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज
2. सी.जी.एम. नाबार्ड, शिमला

(v) **सदस्य सचिव : सलाहकार (योजना)**

II. **नियुक्ति की शर्तें:** सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं ।

III. **योजना बोर्ड मुख्यालय:** योजना बोर्ड का मुख्यालय शिमला है परन्तु इसकी बैठकें किसी भी स्थान पर अध्यक्ष की अनुमति से की जा सकती हैं ।

IV. **योजना बोर्ड के कार्य:**

- राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश की योजना प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
- वित्तीय संसाधनों एवं जन-शक्ति की संगठनात्मक एवं संस्थापक योग्यताओं का आकलन ।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण सैक्टर, जिलों, क्षेत्रों इत्यादि में विकास का आकलन ।
- प्रदेश के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु योजना तैयार करना, राज्य सरकार की वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास आकलन करना ताकि राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास की अधिकतम सीमा प्राप्त की जा सके ।
- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं कारणों की पहचान तथा राज्य की योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यन्वयन का निर्धारण ।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान विकासात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए नीति निर्धारण तथा जिला एवं क्षेत्रीय योजनाओं के प्रारूपीकरण में सहायता करना ।
- योजना कार्यन्वयन की सामयिक समीक्षा तथा प्रदेश की नीति एवं कार्यक्रमों में सुधार के सुझाव ।
- चालू कार्यक्रमों की विवेचनात्मक समीक्षा तथा कार्यक्रमों के निरन्तरीकरण का सुझाव ।

- बेराजगारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ।
- सरकार द्वारा बोर्ड को प्रेषित आर्थिक विकास के मामलों पर सलाह देना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं नीतियों का विश्लेषण करना और प्रदेश के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के उपयुक्त कार्यन्वयन एवं सुधार के सम्बन्ध में उचित सुझाव देना ।
- योजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करना ।
- सरकारी निगमों एवं बोर्डों की कार्य प्रणाली का परीक्षण तथा उनमें सुधार लाने के सुझाव देना ।
- जिला स्तर पर योजना स्कीमों के कार्यन्वयन में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना तथा इन कठिनाईयों के निराकरण एवं समाधान के उपाय सुझाना ।
- अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं निगमों का मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2014-15 के लिए मु0 4400.00 करोड़ रू0 के आकार को अनुमोदित किया गया है ।

मुख्यालय:

सरकारी नियमावली के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु योजना विभाग निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य कर रहा है :-

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | सम्बन्धित मंत्री | माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2. |
| 2. | प्रशासनिक सचिव | अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2. |
| 3. | विभागाध्यक्ष | सलाहकार (योजना) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 |

सलाहकार (योजना), विभागाध्यक्ष हैं । योजना विभाग में विभिन्न प्रभाग जैसे कि योजना प्रारूपण, परियोजना प्रारूपण, योजना कार्यन्वयन, कम्प्यूटरीकरण, मूल्यांकन, जनशक्ति एवं रोजगार, प्रशासन, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, रेलवे, 20-सूत्रीय कार्यक्रम तथा आर.आई.डी.एफ. कार्य कर रहे हैं । ये प्रभाग संयुक्त निदेशक/ उप-निदेशकों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं । संयुक्त निदेशक सलाहकार (योजना) के नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा कार्य निष्पादन के लिए सलाहकार (योजना) का सहयोग करते हैं । संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रभागानुसार उद्देश्य, कार्यक्रम, आबंटन, व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

I. प्रशासन प्रभाग:

संयुक्त निदेशक का पद दिनांक 31 अगस्त, 2012 को पदोन्नति से भरा गया है। संयुक्त निदेशक, (योजना) को विभाग में कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया है। प्रशासन प्रभाग संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करता है।

यह प्रभाग योजना विभाग की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कार्य करता है। प्रभाग के मुख्य कार्य जैसे कि रिक्त पदों का भरना, पदोन्नति, स्थानांतरण, अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, स्थाईकरण, भण्डार, स्थापना, बजट, लेखा आपत्ति, पीएसी, सीएजी, व अन्य विविध कार्य जो प्रभाग को सौंपे गए हैं, किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित किए गए हैं।

II. योजना प्रारूपण प्रभाग:

1. राज्य की वार्षिक योजना (2015-16) का प्रारूपीकरण :

वार्षिक योजना (2015-2016) के प्रारूपीकरण हेतु प्रधान सचिव (योजना) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ योजना प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु चर्चा के लिए अक्टूबर माह में शृंखलावार बैठकों का आयोजन किया गया।

वार्षिक योजना (2015-2016) के प्रारूपीकरण हेतु सभी सम्बन्धित विभागों / एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके माध्यम से उन्हें अपने विभाग से सम्बन्धित विस्तृत योजना प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया।

विभागीय प्रस्तावों की जांच पड़ताल करने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात वार्षिक योजना (2015-2016) का आकार 4800 करोड़ रुपये प्रस्तावित कर ड्रॉफ्ट प्रारूप तैयार करके राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 26 फरवरी, 2015 को हुई बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे राज्य विधानसभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। सैक्टरवार विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

(रु०करोड़ों में)

| क्रम संख्या | सैक्टर | वार्षिक योजना (2015-16) का प्रस्तावित परिलय |
|-------------|---------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | कृषि एवं सम्बन्धित सेवाएं | 511.90 |
| 2. | ग्रामीण विकास | 150.35 |
| 3. | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 23.10 |
| 4. | सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण | 414.50 |
| 5. | ऊर्जा | 642.20 |
| 6. | उद्योग एवं खनन | 66.31 |

| | | |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 7. | संचार एवं परिवहन | 886.86 |
| 8. | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 13.17 |
| 9. | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 177.14 |
| 10. | सामाजिक सेवाएं | 1841.99 |
| 11. | सामान्य सेवाएं | 72.48 |
| | कुल | 4800.00 |

मांग/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-लघु शीर्षवार /स्कीमवार वर्ष 2015-16 के योजना परिव्ययों को वित्त विभाग को बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित किया गया।

III. योजना कार्यान्वयन प्रभाग:

विधान सभा में बजट पारित होने के उपरान्त, योजना बजट का कार्यान्वयन निम्न ढंग से शुरु होता है:-

1. यह प्रभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त डार्डवरज़न और पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण करता है। आवश्यकता व प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ही विचलन या पुनर्विनियोजन की अनुमति दी जाती है।
2. आधिक्य प्रस्तावों को किसी अन्य मद जिसमें व्यय की संभावनायें कम हों या कोई परियोजना जिसकी चालू वर्ष में क्रियान्वयन की संभावना न हो तथा सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये उसमें से कटौती करके पूरा किया जाता है।
3. आधिक्य प्रस्तावों को तत्काल निपटाने के लिये विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।
4. इस अवधि में सभी सम्बन्धित विभागों से उनके प्रशासनिक विभागों के माध्यम से पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव चिन्हांकित व गैर चिन्हांकित मदों में जांच और परीक्षण के लिये आमंत्रित किये गए। संशोधित परिव्ययों को नीति आयोग, भारत सरकार से निर्धारित समयावधि में अनुमोदित करवाया जाता है।
5. इस अवधि में 354 मामले विभिन्न विभागों से प्रशासनिक विभागों के माध्यम से परामर्श हेतु योजना कार्यान्वयन प्रभाग में प्राप्त हुए, इनका परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदनोपरान्त प्राप्त करने के उपरान्त उचित परामर्श सम्बन्धित विभागों को दिया गया।
6. बजट के अनुरूप योजना कार्यान्वयन निर्विघ्न करने के लिये सम्पूर्ण वार्षिक योजना को सॉफ्टवेयर के माध्यम से बजट से जोड़ा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना कार्यन्वयन प्रभाग द्वारा इस अवधि के दौरान निम्न गतिविधियां भी की गई :-

1. त्रैमासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट/त्रैमासिक समीक्षा बैठकें

इस प्रभाग को विकास के विभिन्न मद्दों के तहत हासिल की गई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

योजना व्यय/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाओं के व्यय के लिये निम्न मापदंडों को निर्धारित किया गया है :-

| त्रैमास | योजना व्यय (%) | अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित योजनायें (%) |
|------------|----------------|--|
| प्रथम | 20% | 30% |
| द्वितीय | 25% | 35% |
| तृतीय | 30% | 35% |
| चतुर्थ | 25% | - |
| योग | 100% | 100% |

वार्षिक योजना 2014-15 के अनुमोदित /संशोधित योजना परिव्यय (रु0 4800 करोड़) नीति आयोग, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गए।

श्री रामलाल ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना, विकास व 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की दिनांक 26 जून, 2014 को वार्षिक योजना 2013-14 की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों/परियोजनाओं (2014-15) की समीक्षा हेतु दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

2. त्रैमासिक बजट आबंटन

त्रैमासिक बजट आबंटन की नई प्रणाली वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई है। तदानुसार वर्ष 2014-15 में समस्त विभागों को निर्धारित मानकों के अनुसार त्रैमासिक बजट प्राधिकृत किया गया तथा विभागों से त्रैमासिक प्रगति एकत्रित की गई।

3. बजट आश्वासन

वर्ष 2014-15 के बजट आश्वासनों के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 3 जून, 2014 को बैठक का आयोजन किया गया। विभागों से सम्बन्धित

बजट आश्वासनों की सूचना एकत्रित की गई तथा इसका संकलन किया गया।

4. भारत सरकार के साथ लम्बित मामले

‘भारत सरकार के साथ लम्बित मामले’ आवश्यक मुद्दों/मामलों का संकलन है जो भारत सरकार के साथ लम्बित पड़े हैं। कैबिनेट सचिवालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रमुख मामलों को अपलोड किया गया है जिनकी ई-समीक्षा के माध्यम से निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

5. केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का प्रदेश की आर्थिकी में विशेष स्थान है क्योंकि यह प्रदेश के स्त्रोतों का अनुपूरण करती हैं। वर्तमान में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें या तो शत प्रतिशत या केन्द्र और राज्य में विभिन्न अनुपातों में चल रही हैं। इस प्रभाग ने कार्यन्वयन विभागों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वित्तीय निहितार्थ और समकक्ष योजना में राज्य प्रावधानों पर परामर्श दिये हैं।

6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

स्वतन्त्र एजैन्सियों द्वारा एच.डी.बी.आई. परियोजना की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार चार अध्ययनों पर कार्य किया गया:-

1. हिमाचल प्रदेश में हरित विकास एवं समावेश हेतु मानव विकास अध्ययन ।
2. 0-6 वर्ष आयु समुह के गिरते लिंग अनुपात के कारणों पर अध्ययन ।
3. हिमाचल प्रदेश में मानव विकास पर वित्तीय रिपोर्ट कार्ड।
4. हिमाचल प्रदेश में गुज्जरो की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आकलन हेतु अध्ययन ।

कार्य योजना के अनुसार चार अन्य अध्ययनों के टी. ओ. आर. का सैट तैयार किया जा रहा है।

IV. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रभाग:

प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं की पहचान एवं उनको दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप योजना शुरू की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 1995-96 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई जोकि तब से हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित नीति में सरकार के निर्णयानुसार समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:-

(क) पिछड़ा क्षेत्र उप योजना में पिछड़ा घोषित क्षेत्रों को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

- (i) **पिछड़े घोषित विकास खण्ड** : ऐसे सभी विकास खण्ड जिनमें 50 प्रतिशत या इससे अधिक पंचायते पिछड़ी घोषित हों, पिछड़े विकास खण्ड घोषित किए गए हैं । प्रदेश में कुल आठ विकास खण्ड पिछड़े घोषित हैं जिनमें कुल 304 पिछड़ी पंचायतें आती हैं ।
- (ii) **कंटीगुअस (Contiguous) पंचायतें** : ऐसी सभी पांच या पांच से अधिक पिछड़ी घोषित पंचायतें जिनके भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हों को पिछड़ी पंचायतों का समूह घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 15 पिछड़ी पंचायतों के समूह घोषित हैं जिनमें कुल 133 पिछड़ी पंचायतें आती हैं।
- (iii) **बिखरी पंचायतें**: जिन पिछड़ी घोषित पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्र एक दूसरी पिछड़ी पंचायत से नहीं लगता हो अथवा पिछड़ी पंचायतों का समूह पांच पंचायतों से कम हो ऐसी पंचायतों को बिखरी पंचायतें घोषित किया गया । प्रदेश में कुल 109 बिखरी हुई पिछड़ी पंचायतें हैं ।

(ख) चयनित 13 विकास शीर्षों में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए परिव्यय चिह्नंकित किया जाता है ।

(ग) लाभार्थी एवं क्षेत्र मूलक, दोनों प्रकार की, योजनाओं को अपनाया गया है ।

(घ) जिलों को पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन, जिले में विद्यमान कुल पिछड़ी पंचायतों के अनुपात में किया जाता है ।

(ङ) उप योजना का प्रबन्धन, जिला योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अनुमोदन पश्चात, उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है । उपायुक्तों एवं जिला योजना अधिकारियों को इस उप-योजना का कमशः नियंत्रण तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

(च) योजना विभाग पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत केवल पूंजीगत शीर्षों को ही नियन्त्रित करता है । राजस्व शीर्षों का संचालन सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है ।

प्रदेश में कुल 3243 पंचायतों में से 546 पंचायतें पिछड़ी घोषित की जा चुकी हैं । सरकार द्वारा उप-योजना के लिए अलग बजट की व्यवस्था मांग संख्या-15 (योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) में की जाती है । वर्ष 2014-15 के लिए मु0 42 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान योजना में पूंजीगत कार्यों के लिए रखा गया था और वर्ष 2015-16 के लिए पूंजीगत कार्यों के लिए मु0 43 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान योजना में रखा गया है। पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सुधार के लिए हमेशा उदार है। उप योजना में काफी लचीलापन है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

जिलावार पिछड़ी पंचायतों की संख्या तथा वर्ष 2014-15 के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए पूंजीगत परिव्यय/व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रु० लाखों में)

| क्रम संख्या | जिला | पिछड़ी घोषित पंचायतों की संख्या | पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 2014-15 परिव्यय/व्यय (पूंजीगत) | |
|-------------|------------|---------------------------------|--|----------------|
| | | | योजना परिव्यय | अनुमानित व्यय |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | बिलासपुर | 15 | 115.38 | 115.38 |
| 2. | चम्बा | 159 | 1223.08 | 1223.08 |
| 3. | हमीरपुर | 13 | 100.00 | 100.00 |
| 4. | काँगड़ा | 17 | 130.77 | 130.77 |
| 5. | कुल्लू | 79 | 607.69 | 607.69 |
| 6. | मण्डी | 149 | 1146.15 | 1146.15 |
| 7. | शिमला | 83 | 638.46 | 638.46 |
| 8. | सिरमौर | 25 | 192.31 | 192.31 |
| 9. | सोलन | 3 | 23.08 | 23.08 |
| 10. | ऊना | 3 | 23.08 | 23.08 |
| | योग | 546 | 4200.00 | 4200.00 |

V. क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन प्रभाग :

राज्य स्तर से विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों का संचालन तथा मॉनिटरिंग करने के लिए इस प्रभाग की स्थापना की गई है। विभिन्न विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रमों के संदर्भ में किए गए क्रिया- कलापों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम :

स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में आधारभूत ढांचे की प्रतिपूर्ति तथा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने व सरकारी प्रयत्नों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में विकास में जन सहयोग कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी स्वैच्छिक है तथा नकद सामुदायिक भागीदारी को सम्बन्धित उपायुक्तों के नाम से बैंक / डाकघरों में खोले गए खातों में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 17.63 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

2. क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन :

विकेन्द्रीकृत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 से प्रदेश में आरम्भ किया गया। अन्तर क्षेत्रीय सन्तुलित विकास करवाने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार योजना विभाग द्वारा जिलों को स्वीकृत बजट से धनराशि का आबंटन वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 60

प्रतिशत जिला की जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत जिला के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता की स्कीमों व बजट में महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक्स इत्यादि का कार्यान्वयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

3. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना:

विकेन्द्रीकृत नियोजन के सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का आरम्भ किया गया था लेकिन 2001-02 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2003-04 से पुनः इस योजना को शुरू किया गया तथा 24.00 लाख रू० की धनराशि प्रत्येक विधायक को उनके अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों को करवाने हेतु आबंटित की गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 से यह धनराशि 50.00 लाख रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार कर दी गई। माननीय विधायकों द्वारा इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन एवं समीक्षा अधिक प्रभावी एवं व्यापक हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से यह धनराशि 75.00 लाख रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार कर दी गई है।

इस स्कीम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण माननीय विधायकों की भागीदारी से प्रभावी रूप से किया जाता है। इस योजना से राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 48.99 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

4. मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना:

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़को से जोड़ने के अतिरिक्त गांवों के कच्चे रास्तों को भी पक्का करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना वर्ष 2002-2003 में 10 गैर जनजातीय जिलों में प्रारम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में 2 कि० मी० लम्बी जीप योग्य/ ट्रैक्टर योग्य सड़को का भी निर्माण किया जाता है। वर्ष 2004-05 में इस योजना को बन्द कर दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में इस योजना को पुनः आरम्भ किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए इस योजना के तहत 5 करोड़ रू० की बजट धनराशि प्रावधित की गई थी तथा सम्पूर्ण धनराशि गैर जनजातीय जिलों के उपायुक्तों को कार्यों के कार्यान्वयन हेतु जारी की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 5.50 करोड़ रूपए की धनराशि का बजट प्रावधान रखा गया है।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा अपने - अपने निर्वाचन क्षेत्रों के पूंजीगत

छोटे-छोटे कार्यों कमशः पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सड़कों इत्यादि को करने की अनुशंसा की जाती है। कार्यों की स्वीकृतियां उपायुक्तों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संसद सदस्य को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए उनकी अनुशंसा पर विभिन्न कार्यों के लिए जारी किये जाते हैं।

VI. जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग :

जनशक्ति एवं रोजगार प्रभाग को निम्न प्रमुख कार्य सौंपे गये हैं :-

(i) जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका तैयार करना:

इस पुस्तिका को नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई एवं पुनः निरीक्षण आवश्यक है। इस तथ्य पुस्तिका में जनसंख्या, श्रम शक्ति, रोजगार, बेरोजगार तथा ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जोकि प्रशिक्षण व रोजगार से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, की विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित सांख्यिकीय तालिकाओं की सूचना दी जाती है। वर्ष 2012-2013 के लिए जनशक्ति की तथ्य पुस्तिका का संकलन कार्य किया जा रहा है।

(ii) ई.एम.आई. कार्यक्रम तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट:

ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों पर तिमाहीवार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 1988 से आरम्भ किया गया है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के त्वरित अनुमानों का वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट का संकलन कार्य किया जा चुका है तथा इसका प्रकाशन शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

VII. बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग:

प्रशासनिक उपयुक्तता लाने के लिए योजना विभाग के बाह्य-सहायता परियोजना प्रभाग को परियोजनाओं के विश्लेषण का कार्य दिया गया है। यह प्रभाग विश्व बैंक, ए0डी0बी0, जे0आई0सी0ए0, जी0आई0जैड0, ए0एफ0डी0 व के0एफ0डब्ल्यू0 आदि डोनर एजेंसियों को बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों के परियोजना प्रस्तावों पर विश्लेषण करता है। योजना विभाग के इस कक्ष का मुख्य कार्य राज्य के परियोजना प्रस्तावों को बाह्य सहायतार्थ प्राधिकरणों, निजि निवेशकर्ताओं व केन्द्रीय सरकार को वित्तीय प्रबन्ध के लिए प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका तकनीकी, प्रशासकीय एवं वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत राज्य के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विस्तृत विश्लेषण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग सभी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। यह प्रभाग सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के चिन्हांकन तथा समीक्षा हेतु पत्राचार करता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना, हि0प्र0 सरकार को प्रदेश की सभी बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान किए गये कार्यों का विवरण:

1. राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की परिदृष्टि में त्रैमासिक समीक्षा।
2. केन्द्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की समीक्षा करना तथा व्यय के विरुद्ध दायर प्रतिपूर्ति दावों को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार से निर्मुक्त करवाने के लिए एक कड़ी का कार्य।
3. विभिन्न विभागों को परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने के सन्दर्भ में परामर्श।
4. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 के लिए आवंटन/परिव्यय का निर्धारण करना।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (JICA), जी. आई. जैड., ए.एफ.डी. (फ्रांसीसी सरकार की एजेंसी) तथा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन एजेंसी) आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिकाओं को, परियोजना प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए, सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया तथा उनसे यह आग्रह किया गया कि वे राज्य की प्राथमिकताओं को देखते हुये परियोजना प्रस्ताव तैयार करें। योजना विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय मापदण्डों के दृष्टिगत विश्लेषण करके अनुमोदित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं:

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | डोनर एजेंसी | नोडल विभाग | कुल लागत | रूपये करोड़ों में | |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | परियोजना प्रारम्भ की तारीख | अवधि समाप्ति की तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना | विश्व बैंक | लोक निर्माण विभाग | 1802.84 | जुलाई.07 | जून.16 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना | विश्व बैंक | वन विभाग | 596.25 | अक्टूबर-05 | मार्च.16 |
| 3. | स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना | जे० आई० सी० ए० | वन विभाग | 215.00 | मार्च.06 | मार्च.15 |
| 4. | हाईड्रोलोजी परियोजना-11 | विश्व बैंक | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग | 59.49 | परियोजना 2014-15 में सम्पन्न हुई। | |
| 5. | हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम | एशियन डेवलपमेंट बैंक | पर्यटन विभाग | 428.22 | 2010 | 2020 |
| 6. | हि०प्र० फसल विविधीकरण उन्नत परियोजना | जे० आई० सी० ए० | कृषि विभाग | 321.00 | जुलाई.11 | मार्च.18 |
| 7. | क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम | एशियन डेवलपमेंट बैंक | विद्युत विभाग | 1927.00 | जनवरी.12 | दिसम्बर.18 |
| 8. | विद्युत परियोजनाएं | एशियन डेवलपमेंट बैंक | विद्युत विभाग | 6673.87 | नवम्बर.08 | जून .16 |
| कुल योग | | | | 12023.67 | | |

पाईप लाईन में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं: वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित निम्नलिखित परियोजनाओं का बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु भेजने के लिए परीक्षण किया गया।

रुपये करोड़ों में

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | नोडल विभाग | डोनर एजेंसी | कुल अनुमानित लागत |
|----------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण के लिए जे०आई०सी०ए० की तकनीकी कॉन्फ्रेंस परियोजना (टी०सी०पी०)- चरण-11 | कृषि विभाग | जे० आई० सी० ए० | 100% |
| 2 | 5 मैगावाट बैरा डोल सोलर परियोजना | विद्युत(एन०ई०एस०) | ए०एफ०डी० | 50.00 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश में समावेशी हरित उन्नति व सतत विकास को सुदृढ़ करना। | पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी | विश्व बैंक | 100 मिलियन यूएस डालर |
| 4 | चिड़गांव मझगांव (60 मैगावाट), त्रिवेणी महादेव (78 मैगावाट) तथा लुजाई 45 मैगावाट) | विद्युत (एच.पी.पी. सी.एल. द्वारा) | विश्व बैंक | 2860.00 |
| 5 | देवी कोठी एचईपी, साई कोठी-1 एचईपी, साई कोठी-11 एचईपी, हेल एचईपी, बारा कांबा स्टेज-1 एचईपी, बारा कांबा स्टेज-11 एचईपी, राईसन एचईपी व नोगली स्टेज-11 एचईपी- 8 प्रस्ताव | विद्युत (एच.पी.पी. सी.एल. द्वारा) | भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना | 1189.06 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर व शिमला जिले के घुमारवी, ठियोग, नारकण्डा, मशोबरा व बसन्तपुर खण्ड में शेष बचे /आंशिक रूप से कवर बस्तियों के लिए 3 जल आपूर्ति योजनाएं | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग | जे० आई० सी० ए० | 388.43 |
| 7 | चम्बा जिला में हिमाचल कृषि कम्पिटिटिव परियोजना | कृषि | विश्व बैंक | 50.00 |
| 8 | शिमला काम्प्रिहैन्सिव माबिलिटी परियोजना/ योजना | शहरी विकास/ नगर निगम | विश्व बैंक | 5741.00 (कुल लागत) /1198.32 (प्रथम चरण) |
| 9 | शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति वितरण प्रणाली तथा मल निकासी योजना में सुधार के लिए दो परियोजनाएं | शहरी विकास | | 307.28 |
| 10 | हि०प्र० राज्य सड़क परियोजना चरण-11 | लोक निर्माण विभाग | विश्व बैंक | 3800.00 (वास्तविक) 3250 (संशोधित) |
| 11 | हि०प्र० में विद्युत प्रणाली मास्टर प्लान का कार्यान्वयन | विद्युत (एचपीपीटीसीएल द्वारा) | जे० आई० सी० ए० | 865.00 |
| 12 | हि० प्र० के ग्रामीण क्षेत्र में शेष बचे व आंशिक रूप से कवर बस्तियों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना। | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग | विश्व बैंक | 3245.00 |

राज्य स्तर पर नवाचार :

हिमाचल प्रदेश को एक इनोवेटिव राज्य के रूप में परिवर्तित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आदान-प्रदान द्वारा राज्य स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गये हैं।

I. राज्य नवाचार परिषद का गठन:-

राज्य नवाचार परिषद का गठन हिमाचल सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2011 को मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुआ था जिसमें राज्य के सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक सचिवों व विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस परिषद की परिधि के अन्तर्गत कुछ और संस्थानों जैसे एनआईटी, हमीरपुर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी मण्डी को लाने के लिए 4 अगस्त, 2014 को इस परिषद का विस्तार किया गया।

II. राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न नवाचार तकनीकें: राज्य में नवाचार की निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया गया है:

1. **प्लास्टिक सड़कें** वर्ष 2010-11 में यह इन्वोवेशन शुरू की गई थी। अब तक 117.18 कि०मी० प्लास्टिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रयोजन के लिए 56.83 मि०टन प्लास्टिक अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जा चुका है।
2. **Way-Side सुविधाएं:** राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गों के किनारों पर स्थित बंजर भूमि पर पर्यटन सूचना केन्द्रों, पिकनिक स्थलों, वर्षा शालिकाओं, शौचालयों, पार्किंग स्थलों, ऑटो मोबाईल रिपेयर दुकानों आदि way side सुविधाओं का विकास किया गया है।
3. **प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध:** राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदूषण में कमी लाने तथा पारिस्थितिकी में सुधार लाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों तथा दूसरे संस्थानों में हीटिंग के प्रयोजन के लिए जीवाश्म ईंधन व कोयले के प्रयोग को भी निषिद्ध कर दिया गया है।
4. **छत-वर्षा जल संचयन:** मनरेगा कार्यक्रम के तहत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए वर्षा जल संचयन टैंकों को बनाने का निर्णय लिया गया है। इस पानी का उपयोग ग्रामीण परिवारों की सामान्य घरेलू तथा पशुओं को पीने के लिए पानी की जरूरतों को कुछ हद तक पूरा करने में सक्षम होगा।
5. **पशु पालन क्षेत्र में नवाचार:** राज्य में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भ्रूण स्थानान्तरण तकनीक को अपनाया गया है तथा भ्रूण स्थानान्तरण प्रायोगिकी लैब जिला कांगड़ा के पालमपुर में स्थापित की जा रही है। विभाग ने मवेशियों की पहाड़ी नस्ल के संरक्षण के लिए पालमपुर में एक पहाड़ी मवेशी प्रजनन फार्म की स्थापना कर प्रयास शुरू कर दिए हैं।
6. **वानिकी क्षेत्र में नवाचार:**
 - (i) उन्नत जर्म प्लाज्म का समावेश
 - (ii) जैविक खेती की सम्वर्धन
 - (iii) संरक्षित खेती
 - (iv) एण्टी हेलनेट
 - (v) मौसम आधारित फसल बीमा योजना
 - (vi) पोस्ट हारवैस्ट प्रबन्धन
7. **भू रिकार्ड क्षेत्र में नवाचार:** भू रिकार्ड अपडेट करने की प्रणाली को विकसित करने, आटोमैटिक व आटोमैटिक इन्तकाल, राजस्व व पंजीकरण के मध्य इंटर कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतू टैक्सच्युल व आकाशीय रिकार्ड का एकीकरण करने के लिए प्रिसेपटिव टाईटल प्रणाली को कनकलूसिव टाईटल प्रणाली से स्थानांतरित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया है।

III. राज्य नवाचार फण्ड :राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में नई पहल आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य नवाचार फण्ड का गठन किया गया है। इस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए दिशा-निर्देशों को राज्य नवाचार परिषद की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित कर दिया गया है।

राज्य नवाचार परिषद द्वारा अभी तक निम्नलिखित परियोजनाएं इस फण्ड के अन्तर्गत कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित की गई हैं:

1. मणिमहेश यात्रा पंजीकरण 2013 परियोजना। (रु0 15.00 लाख)
2. ऑन लाईन ब्लड बैंक प्रबन्धन सूचना प्रणाली परियोजना। (रु0 50.12 लाख)
3. सूचना व जन सम्पर्क विभाग की गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव (रु0 16.00 लाख) ?
4. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों व जनजातीय सर्कलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना। (रु0 27.24 लाख)
5. राशन कार्ड फार्म के समाधान हेतु दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली अपनाना। (रु0 30.75 लाख)

IV. राज्य नवाचार कार्य योजना: 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर नवाचार कार्य योजना तैयार की गई है।

V. नवाचार अर्वाड योजना:

राज्य सरकार ने उत्तम नवाचार कार्यों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी विभागों, स्थानीय सरकारों, सामुदायिक विकास समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों/ स्वायत्त निकायों के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्ति विशेष के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य नवाचार अर्वाड योजना, 2014 शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत कृषि, बागवानी, शैक्षणिक, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण, सामाजिक विकास, पर्यटन तथा सरकारी क्षेत्रों सहित छह क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है तथा प्रथम चरण में इन चिन्हित क्षेत्रों में उत्तम नवाचार कार्यों को करने हेतु रु0 30.00 लाख (रु0 5.00 लाख प्रत्येक क्षेत्र के लिए) का पुरस्कार देने का प्रावधान रखा गया है।

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज- हिमाचल प्रदेश के लिए कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन तंत्र/प्रणाली (PMES)

प्रदेश में सरकारी विभागों के कार्यों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है। PMES के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा प्रति वर्ष परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (RFD) तैयार करना आवश्यक है।

यह तंत्र किसी विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित उपलब्धियों के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश प्रदान करता है। इस दस्तावेज के दो मुख्य उद्देश्य हैं, (क) प्रक्रिया केन्द्रित विभागीय गतिविधियों को परिणाम केन्द्रित बनाना (ख) वर्ष के अन्त में विभाग के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक निष्पक्ष व न्यायोचित आधार प्रदान करना।

राज्य में आर0एफ0डी0

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों के लिए परिणाम रूपरेखा

दस्तावेज तैयार करने हेतु कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों/संगठनों के सम्मत उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को समयवद्ध ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हर साल एक परिणाम रूपरेखा दस्तावेज तैयार करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2011-12 से आरम्भ किया गया है और योजना विभाग राज्य स्तर पर पी0एम0ई0एस0 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, सभी विभागों के लिए राज्य स्तर पर दिशा-निर्देश तैयार किये जाते हैं और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज तैयार करने के लिए योजना विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं। किसी विशेष वर्ष के लिए बजटीय आबंटन के आधार पर, सम्बन्धित विभाग द्वारा ड्राफ्ट RFDs तैयार कर RFMS साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाईन अपलोड किया जाता है। राज्य स्तर पर इन ड्राफ्ट RFDs की प्रशिक्षित रिर्सेस पर्सनल द्वारा प्रारम्भिक समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को इस समीक्षा की फीडबैक प्रदान की जाती है जिसके आधार पर विभागों द्वारा सुझावों को विभाग की RFD में सम्मिलित किया जाता है। तदोपरान्त राज्य स्तर पर योजना विभाग द्वारा इन संशोधित RFDs को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात सम्बन्धित विभागों द्वारा अन्तिम RFDs उनकी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी गतिविधियों को एक निश्चित समय अवधि के अन्दर पूरा किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में, सभी विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में समग्र स्कोर का निर्धारण कर उपलब्धियों को अपलोड किया जाना होता है। समग्र स्कोर द्वारा विभाग की लक्षित उपलब्धियों का आकलन होता है। तत्पश्चात, सभी विभागों के संबंध में समग्र स्कोर को राज्य स्तर पर योजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

राज्य स्तर पर कार्य निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन तंत्र/प्रणाली (PMES) की समीक्षा करने के लिए तथा आर0एफ0डी0 को और अधिक बेहतर व जनोन्मुखी बनाने हेतु अक्टूबर, 2014 में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सभी प्रशासनिक सचिवों व राज्य स्तर के प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। 13 प्रमुख विभागों नामतः कृषि, बागवानी, उद्योग, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, प्रारम्भिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वन, लोक निर्माण, उर्जा, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण सूचकों पर विस्तृत चर्चा हुई जिसके उपरान्त जनोन्मुखी व अधिक चुनौतीपूर्ण सूचकों को नियमित समीक्षा के लिए चुना गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल 54 विभागों/निगमों/बोर्डों ने अपने-अपने विभाग/संगठन की आर0एफ0डी0 तैयार की गई है।

VIII. कौशल विकास प्रभाग

वर्ष 2014-15 की कौशल विकास से सम्बन्धित प्रशासनिक रिपोर्ट

कौशल विकास से सम्बन्धित कार्य राज्य में प्रशासनिक विभाग के रूप में योजना विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य में कौशल विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निम्न कार्य किये गये।

- कौशल विकास वार्षिक योजना 2014-15 सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को शामिल कर तैयार की गई।
- कौशल विकास गतिविधियों की समीक्षा बैठकें प्रधान सचिव (योजना) / सलाहकार (योजना) की अध्यक्षता में समय-समय पर आयोजित की गई तथा इन बैठकों की कार्यवाही भी सम्बन्धित विभागों को भेजी गई।

- भारत-यूरोप (India-EU) कौशल विकास परियोजना, एन.एस.डी.ए., नई दिल्ली के एक दल ने सितम्बर, 2014 में राज्य का दौरा किया। दौरे के दौरान योजना विभाग ने सम्बन्धित विभागों के साथ बैठकों व फील्ड दौरे का आयोजन किया गया।
- निजी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सेवा प्राप्त करने की संभावना के सन्दर्भ में योजना विभाग ने शिमला में 22 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एन.एस.डी.ए) के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं जैसे यशस्वी प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, SODEXO, तकनीकी शिक्षा Centurian विश्वविद्यालय एवं प्रबन्धन, सिक्किम सरकार के प्रतिनिधी और हिमाचल प्रदेश के अनेक विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- इस कार्यशाला में किये गये विचार-विमर्श का मसौदा योजना विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया।
- जनवरी, 2015 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कौशल विकास कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया।
- फरवरी, 2015 में एशियन विकास बैंक की टीम ने राज्य में दौरा किया ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार को कौशल विकास के क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए मदद की जा सके। इस सन्दर्भ में योजना विभाग ने सम्बन्धित विभागों के साथ बैठकों तथा फील्ड दौरों का आयोजन किया। योजना विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए “हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना” की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट मु0 939 करोड़ रू0 की तैयार की गई।

IX. नाबार्ड-ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आर.आई.डी.एफ.) प्रभाग:

वर्ष 1995-96 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि की घोषणा करते हुए कहा था कि नाबार्ड राज्य सरकारों के आधारभूत संरचना जुटाने के लिए विभिन्न मदों जैसे मध्यम तथा लघु सिंचाई, भू-संरक्षण तथा अन्य ग्रामीण मूलभूत परियोजनाओं जिसमें ग्रामीण सड़कें, मार्केट यार्ड इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। आरम्भ में यह योजना आर.आई.डी.एफ.-1 के अन्तर्गत चालू स्कीमों को पूर्ण करने के लिए थी जिसमें नाबार्ड से 50 प्रतिशत ऋण सहायता उपलब्ध किए जाने का प्रावधान था। इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के फलस्वरूप इस योजना को आर.आई.डी.एफ. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX तथा XX के अन्तर्गत भी जारी रखा गया है तथा इसकी ऋण सहायता राशि को भी 90/95 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

2. राज्य सरकार नाबार्ड से आर0 आई0 डी0 एफ0 के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। मुख्य विकासात्मक गतिविधियां जिन के लिए राज्य सरकार ने नाबार्ड से परियोजनाएँ अनुमोदित करवाई हैं या ऋण सहायता के लिए भेजी हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. सड़कों एवं पुलों का निर्माण।

2. सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण ।
3. बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का निर्माण ।
4. पेयजल परियोजनाओं का निर्माण ।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के भवन का निर्माण “सरस्वती बाल विद्या संकल्प परियोजना” ।
6. नागरिक सूचना केन्द्रों की स्थापना ।
7. ई-अभिशासन (E-Governance) ।
8. वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण ।
9. जल प्रवाह विकास योजना ।
10. पशु स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना का सुदृढीकरण ।
11. Precision Farming पद्धति अपनाकर नकदी फसलों का उत्पादन परियोजना (पोलीहाऊस एवं लघु सिंचाई) ।
12. लघु सिंचाई एवं सम्बन्धित संरचना द्वारा कृषि का विविधीकरण परियोजना ।
13. वातानुकूलित भण्डारण निर्माण ।

3. नाबार्ड द्वारा दिनांक 31-03-2015 तक प्रदेश सरकार को ₹ 5152.61 करोड़ की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

(₹ करोड़ में)

| ट्रांच संख्या | कार्यक्रम की अवधि | स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | नाबार्ड ऋण सहायता | राज्य अंशदान | कुल स्वीकृत राशि |
|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| आर.आई.डी.एफ -I | 1995-96 से 1997-98 | 77 | 14.23 | 4.90 | 19.13 |
| आर.आई.डी.एफ -II | 1996-97 से 1998-99 | 66 | 52.96 | 6.32 | 59.28 |
| आर.आई.डी.एफ -III | 1997-98 से 1999-2000 | 28 | 51.12 | 5.12 | 56.24 |
| आर.आई.डी.एफ -IV | 1998-99 से 2000-01 | 66 | 87.81 | 3.48 | 91.29 |
| आर.आई.डी.एफ -V | 1999-2000 से 2001-02 | 680 | 110.36 | 6.80 | 117.16 |
| आर.आई.डी.एफ -VI | 2000-01 से 2002-03 | 1053 | 127.20 | 10.15 | 137.35 |
| आर.आई.डी.एफ -VII | 2001-02 से 2003-04 | 325 | 168.24 | 8.90 | 177.14 |
| आर.आई.डी.एफ -VIII | 2002-03 से 2004-05 | 237 | 169.29 | 13.80 | 183.09 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| आर.आई.डी.एफ -IX | 2003-04 से 2005-06 | 182 | 141.70 | 19.35 | 161.05 |
| आर.आई.डी.एफ -X | 2004-05 से 2006-07 | 146 | 91.64 | 9.96 | 101.60 |
| आर.आई.डी.एफ -XI | 2005-06 से 2007-08 | 266 | 224.67 | 29.73 | 254.40 |
| आर.आई.डी.एफ-XII | 2006-07 से 2008-09 | 379 | 272.30 | 36.17 | 308.47 |
| आर.आई.डी.एफ-XIII | 2007-08 से 2010-11 | 359 | 308.06 | 32.55 | 340.61 |
| आर.आई.डी.एफ-XIV | 2008-09 से 2011-12 | 136 | 424.82 | 28.13 | 452.95 |
| आर.आई.डी.एफ-XV | 2009-10 से 2012-13 | 223 | 454.13 | 36.98 | 491.11 |
| आर.आई.डी.एफ-XVI | 2010-11 से 2013-14 | 186 | 394.53 | 37.16 | 431.69 |
| आर.आई.डी.एफ-XVII | 2011-12 से 2014-15 | 225 | 423.69 | 41.81 | 465.50 |
| आर.आई.डी.एफ-XVIII | 2012-13 से 2015-16 | 164 | 432.16 | 44.32 | 476.48 |
| आर.आई.डी.एफ-XIX | 2013-14 से 2016-17 | 142 | 496.09 | 65.18 | 561.27 |
| आर.आई.डी.एफ-XX | 2014-15 से 2017-18 | 161 | 707.61 | 58.89 | 766.50 |
| | कुल योग: (I से XX) | 5101 | 5152.61 | 499.70 | 5652.31 |

4. दिनांक 31-03-2015 तक उपरोक्त स्वीकृत नाबार्ड ऋण सहायता राशि ₹ 5152.61 करोड़ में से प्रदेश सरकार ने ₹ 3464.94 करोड़ की ऋण राशि नाबार्ड से प्राप्त कर ली है जिसका विवरण निम्न तालिका में है :-

(₹ करोड़ में)

| द्वंद्व संख्या | स्वीकृत ऋण राशि | प्राप्त की गई राशि | | | प्रतिशतता |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|-----------|
| | | 1995-96 से 2013-14 | 2014-15 (31-03-2015 तक) | कुल | |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| आर.आई.डी.एफ -I | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 100.00 |
| आर.आई.डी.एफ -II | 52.96 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 99.77 |
| आर.आई.डी.एफ -III | 51.12 | 49.43 | 0.00 | 49.43 | 96.69 |
| आर.आई.डी.एफ -IV | 87.81 | 79.14 | 0.00 | 79.14 | 90.13 |
| आर.आई.डी.एफ -V | 110.36 | 108.09 | 0.00 | 108.09 | 97.94 |
| आर.आई.डी.एफ -VI | 127.20 | 127.88 | 0.00 | 127.88 | 100.53* |

| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| आर.आई.डी.एफ-VII | 168.24 | 174.79 | 0.00 | 174.79 | 103.89* |
| आर.आई.डी.एफ-VIII | 169.29 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 90.97 |
| आर.आई.डी.एफ -IX | 141.70 | 111.59 | 0.00 | 111.59 | 78.75 |
| आर.आई.डी.एफ -X | 91.64 | 78.82 | 0.00 | 78.82 | 86.01 |
| आर.आई.डी.एफ -XI | 224.67 | 210.46 | 0.00 | 210.46 | 93.68 |
| आर.आई.डी.एफ-XII | 272.30 | 256.67 | 2.39 | 259.06 | 95.14 |
| आर.आई.डी.एफ-XIII | 308.06 | 221.26 | 7.82 | 229.08 | 74.36 |
| आर.आई.डी.एफ-XIV | 424.82 | 349.07 | 12.57 | 361.64 | 85.13 |
| आर.आई.डी.एफ-XV | 454.13 | 332.51 | 31.10 | 363.61 | 80.07 |
| आर.आई.डी.एफ-XVI | 394.53 | 273.04 | 28.98 | 302.02 | 76.55 |
| आर.आई.डी.एफ-XVII | 423.69 | 205.75 | 68.91 | 274.66 | 64.83 |
| आर.आई.डी.एफ-XVIII | 432.16 | 156.60 | 37.99 | 194.59 | 45.03 |
| आर.आई.डी.एफ-XIX | 496.09 | 108.77 | 52.15 | 160.92 | 32.43 |
| आर.आई.डी.एफ-XX | 707.61 | 0.00 | 158.09 | 158.09 | 22.34 |
| कुल | 5152.61 | 3064.94 | 400.00 | 3464.94 | 67.25 |

* वितरित ऋण राशि, स्वीकृत ऋण राशि से इसलिए अधिक है क्योंकि पूर्व में जारी अग्रिम को भविष्य में आहरण की गई राशि में समायोजित नहीं किया गया है ।

5. वर्ष 1995-96 से 2014-15 तक वर्षवार आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति प्राप्तियों का ब्यौरा :

| वर्ष | प्रतिपूर्ति प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में) |
|--------------|--|
| 1. | 2. |
| 1995-96 | 1.60 |
| 1996-97 | 5.31 |
| 1997-98 | 35.44 |
| 1998-99 | 40.65 |
| 1999-00 | 56.01 |
| 2000-01 | 106.92 |
| 2001-02 | 116.44 |
| 2002-03 | 141.58 |
| 2003-04 | 142.35 |
| 2004-05 | 83.17 |
| 2005-06 | 125.09 |
| 2006-07 | 140.38 |
| 2007-08 | 200.00 |
| 2008-09 | 220.00 |
| 2009-10 | 300.00 |
| 2010-11 | 294.49 |
| 2011-12 | 305.51 |
| 2012-13 | 400.00 |
| 2013-14 | 350.00 |
| 2014-15 | 400.00 |
| Total | 3464.94 |

6. नाबार्ड ऋण के अन्तर्गत लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ (2006-07 से 2014-15) :

| (₹ करोड़ में) | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------------|-----------|
| क्रम संख्या | वर्ष / ट्रांच | ऋण स्वीकृत लक्ष्य | उपलब्धियाँ | प्रतिशतता |
| 1. | 2006-07 (XII) | 277.00 | 273.48 | 98.73 |
| 2. | 2007-08 (XIII) | 298.00 | 299.26 | 100.42 |
| 3. | 2008-09 (XIV) | 406.00 | 425.12 | 104.71 |
| 4. | 2009-10 (XV) | 398.00 | 454.50 | 114.20 |
| 5. | 2010-11 (XVI) | 400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (560.00-नाबार्ड) | 412.90 | 103.22 |
| 6. | 2011-12 (XVII) | 400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (540.00-नाबार्ड) | 423.69 | 105.93 |
| 7. | 2012-13 (XVIII) | 400.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) (500.00-नाबार्ड) | 432.16 | 108.04 |
| 8. | 2013-14 (XIX) | 475.00 (एचपीसी द्वारा अनुमोदित) | 496.09 | 104.44 |
| 9. | 2014-15 (XX) | 765.00 | 707.61 | 92.50 |

7. प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना / स्कीमों को चुनने, अनुमोदन तथा समीक्षा किए जाने हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है ।

8. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आर0आई0डी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठकों का ब्यौरा :-

| क्रम संख्या | बैठक का नाम | बैठक की तिथि एवं स्थान | बैठक की अध्यक्षता |
|-------------|--|---------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | अध्यक्ष, नाबार्ड के साथ आर0आई0डी0एफ0 की समीक्षा बैठक | 11-04-2014 शिमला | मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार । |
| 2. | आर0आई0डी0एफ0 की 43वीं उच्च स्तरीय समिति (HPC)की बैठक | 04-07-2014 शिमला | मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार । |
| 3 | विधायकों के साथ बैठके | 23 व 24 जनवरी, 2015 शिमला | माननीय मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश। |

उपरोक्त वर्णित बैठकों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड शिमला में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ द्विमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । इन बैठकों में कार्यकारी विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त नाबार्ड एवं योजना विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं । मासिक समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की विस्तृत भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा की जाती है तथा सम्बन्धित विभागों को योजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं । इन बैठकों से योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त समीक्षा बैठकों के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में नाबार्ड ऋण पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

X. 20-सूत्रीय कार्यक्रम प्रभाग:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006

भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। वर्ष 1982, 1986 और फिर 2006 में इसकी पुनःसंरचना की गई थी। पुनःसंरचित कार्यक्रम को बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 (बीसूका-2006) के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता दूर करने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं जैसे कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भू-सुधार, सिंचाई, पेयजल, समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-गवर्नेंस, इत्यादि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में शामिल कार्यक्रमों/योजनाओं को राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर अनुश्रवण किया जाता है।

पुनःसंरचित बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 में मूल रूप में 20 सूत्र और 65 अनुश्रवण योग्य मर्दें हैं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सभी 65 मर्दों का मासिक आधार पर निष्पादन/रिपोर्टिंग वांछित नहीं है। यह मर्दें प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होती हैं। वर्ष 2009-10 तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के कार्यान्वयन का आकलन भारत सरकार द्वारा राज्यों की रैंकिंग के आधार पर होता था परन्तु उसके उपरान्त रैंकिंग को समाप्त कर दिया गया है।

प्रत्येक अनुश्रवण/निगरानी वाली मद का मासिक/वार्षिक उपलब्धि के आधार पर “बहुत अच्छा”, “अच्छा” और “खराब/चिन्ताजनक” श्रेणी में वर्गीकरण निम्न प्रकार से है:-

| क्रम संख्या | प्रतिशतता उपलब्धि | श्रेणी |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | 90 प्रतिशत एवं उससे अधिक | बहुत अच्छा |
| 2. | 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत | अच्छा |
| 3. | 80 प्रतिशत से नीचे | खराब/चिन्ताजनक |

वर्ष 2007 से बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के समन्वय, समीक्षा, अनुश्रवण तथा मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों हेतु योजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। सांख्यिकी

एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 1/18/2005-TPP दिनांक 12/09/2014 द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रगति प्रतिवेदन का संकलन मासिक के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश का बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन में राज्य की उपलब्धि/स्थान का वर्षवार विवरण निम्न है:-

| क्रम संख्या | वर्ष | राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की <u>उपलब्धि/स्थान</u> |
|-------------|---------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | 2006-07 | Ranked First |
| 2. | 2007-08 | Graded at Second |
| 3. | 2008-09 | Adjudged 3 rd |
| 4. | 2009-10 | Rated 1 st Position |
| 5. | 2010-11 | Placed at the Top in the Very Good Category |
| 6. | 2011-12 | Placed at the Top in the Very Good Category |
| 7. | 2012-13 | Very Good in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked Good (80% to 90%). |
| 8. | 2013-14 | Placed in the Very Good category. |

बीस सूत्रीय कार्यक्रम-2006 के प्रभावशाली निष्पादन में विभिन्न जिलों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अन्तर जिला श्रेणी/विश्लेषण का कार्य शुरू किया है । इसके अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले तीन जिलों को प्रोत्साहन राशि के रूप में क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये व 20 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रोत्साहन राशि को इन जिलों की विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ।

वर्ष 2013-14 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम निष्पादन के आधार पर 6 जिलों क्रमशः बिलासपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पिति, सिरमौर, सोलन एवं ऊना ने संयुक्त रूप से अन्तर जिला विश्लेषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

इन 6 जिलों को एक करोड़ रु० की ईनाम राशि आवंटित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम संख्या | जिले का नाम | राशि (रु० में) |
|-------------|--------------|----------------|
| 1. | बिलासपुर | 16.67 |
| 2. | कांगड़ा | 16.67 |
| 3. | लाहौल-स्पिति | 16.66 |
| 4. | सिरमौर | 16.67 |
| 5. | सोलन | 16.67 |
| 6. | ऊना | 16.66 |
| | योग | 100.00 |

जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियाँ सभी जिलों में त्रैमासिक बैठकों में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करती हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता माननीय मुख्य मन्त्री/मन्त्री/विधायक द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों में उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी / जिला योजना अधिकारी भी समय-समय पर जिलों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा / अनुश्रवण करते हैं।

राज्य स्तर पर माननीय मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (योजना) एवं सलाहकार (योजना), हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में भी बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है ।

राज्य एवं राज्य के निचले स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सतत समीक्षा के परिणामस्वरूप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जायेगा ।

XI. रेलवे प्रभाग :

वर्ष 2013-14 के लिए रेलवे प्रभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाईन का कार्य 19वीं सदी के अन्तिम दशक में आरम्भ हुआ था । वर्ष 1895 में 96 कि०मी० लम्बे कालका-शिमला रेल ट्रैक का सर्वेक्षण किया गया था तथा इस नैरो गेज रेल ट्रैक के निर्माण के लिए 29 जून, 1898 को कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित हुआ। इस रेल लाईन का निर्माण कार्य 2 नवम्बर, 1903 को पूर्ण हुआ तथा इसे आम जनता के लिए 1 जनवरी, 1906 को खोल दिया गया था।

एक अन्य नैरोगेज रेल ट्रैक पठानकोट-जोगिन्द्रनगर की लम्बाई 181 कि०मी० है। इस रेल लाईन का कार्य वर्ष 1926 में आरम्भ हुआ। तीन वर्ष उपरान्त 163 कि०मी० लम्बे इस रेल मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया था।

वर्ष 2014-15 के दौरान रेल प्रभाग द्वारा निम्न रेल लाईनों के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों से पत्राचार किए गए:-

1. भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाईन (63.1 कि०मी):

इस रेल लाईन की लागत रु० 1046 करोड़ से बढ़कर रु० 2967 करोड़ हो गई है (वर्ष 2015-16 के अन्तिम बजट लागत के अनुसार)। दिनांक 5.12.2013 की राज्य मंत्री मण्डल की बैठक में राज्य सरकार ने CCEA के निर्णय के अनुरूप निम्नलिखित हिस्सेदारी की सहमति प्रदान की है:-

1. 25 प्रतिशत राज्य सरकार (इसमें भू-अधिग्रहण की अनुमानित लागत रु० 70 करोड़ भी शामिल है। भू-अधिग्रहण की बढ़ी हुई लागत भी प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी)।

2. 25 प्रतिशत रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार GBS द्वारा।
 3. 50 प्रतिशत वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार ।
- (यह हिस्सेदारी परियोजना के पूर्ण होने की लागत पर होगी)

उपरोक्त निर्णय बारे रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अवगत करवा दिया गया है तथा इस रेल लाईन के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने का भी निवेदन किया गया । रेलवे मन्त्रालय ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी नई लाईन के पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले निर्माण कार्य को RVNL को स्थानान्तरित किया था। परन्तु रेलवे बोर्ड के द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस रेल लाईन के निर्माण कार्य को पुनः उत्तरी रेलवे को स्थानान्तरित किया है । राज्य सरकार ने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने तथा RVNL द्वारा निर्माण कार्य करवाने बारे पुर्नविचार करने का आग्रह किया गया । अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक RVNL ने पत्र दिनांक 10.4.2015 द्वारा सूचित किया है कि रेलवे बोर्ड ने पुनः इस परियोजना का निर्माण कार्य RVNL को स्थानान्तरित कर दिया है । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि अन्तिम स्थान सर्वेक्षण तथा भू-वैज्ञानिक अध्ययन निविदाओं की कार्यवाही अंतिम चरण में है ।

भारतीय रेलवे ने इस रेल लाईन के लिए रेलवे बजट 2015-16 में निम्न बजट प्रस्तावित किया है:-

| | | |
|-------------------|----------|----------------------|
| कैपिटल | = | रु० 120 करोड़ |
| ई०बी०आर० (पीपीपी) | = | रु० 40 करोड़ |
| योग | = | रु० 160 करोड़ |

2. चण्डीगढ़-बददी रेल लाईन (33.23 कि०मी०):

राज्य मन्त्रीमण्डल की दिनांक 5-12-2013 की बैठक में, राज्य सरकार ने इस परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय से रेलवे बोर्ड को अवगत करवा दिया गया है तथा बजट में पर्याप्त प्रावधान करने और कार्य आरम्भ करने का आग्रह भी किया गया है। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा इस रेल लाईन के लिए मु० 2 करोड़ रु० की राशि उत्तरी रेलवे, चण्डीगढ़ को राज्य हिस्से के रूप में उपलब्ध करवाई जा चुकी है । उत्तरी रेलवे, चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि इस रेल लाईन का आकलन मु० 1672 करोड़ रु०, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु भेजा गया है । भू-अधिग्रहण कार्य पूरा होने के पश्चात इस रेल लाईन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा । वर्ष के दौरान रेलवे तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ रेल लाईन निर्माण कार्य से सम्बन्धित समीक्षा बैठकें एवं पत्राचार किया गया ।

भारतीय रेलवे ने इस रेल लाईन के लिए रेलवे बजट 2015-16 में निम्न बजट प्रस्तावित किया है:-

| | | |
|-------------------|----------|---------------------|
| कैपिटल | = | रु० 10 करोड़ |
| ई०बी०आर० (आई०एफ०) | = | रु० 15 करोड़ |
| ई०बी०आर० (पीपीपी) | = | रु० 70 करोड़ |
| योग | = | रु० 95 करोड़ |

3. नंगल-तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाईन (83.74 कि०मी०):

इस रेल लाईन की कुल लम्बाई 83.74 कि०मी० है जिसमें से 62 कि०मी० ट्रैक हिमाचल प्रदेश में आता है, इसमें से अम्ब-अन्दौरा तक 44 कि०मी० ट्रैफिक के लिए खोला गया है । इस परियोजना को पूर्ण करने की लागत लगभग 1200 करोड़ रु० है ।

अन्तिम सैक्शन (5 कि०मी०), दौलतपुर से मण्डवाड़ा (करटोली), का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रेलवे ने राज्य सरकार से परियोजना लागत के शेष बचे हिस्से का 50 प्रतिशत देने बारे आग्रह किया है । राज्य सरकार ने सीमिति संसाधनों के कारण इसे देने में असमर्थता जताई है । इस सैक्शन का भू-अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है ।

भारतीय रेलवे ने इस रेल लाईन के लिए रेल बजट 2015-16 में 100 करोड़ रु० (पूँजीगत) प्रस्तावित किया है

4. बिलासपुर-लेह वाया मनाली ब्रॉडगेज रेल लाईन (498 कि०मी०):

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालय से इस रेल लाईन को बनाने का मामला बार-बार उठाया जा चुका है ताकि सीमा क्षेत्रों तक सामरिक दृष्टि से रक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं मशीनरी ले जाई जा सके और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सके । सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस रेल लाईन की लम्बाई लगभग 498 कि०मी० होगी जिसकी निर्माण लागत (- 4.26 प्रतिशत वापिसी दर पर) रु० 22,831 करोड़ आंकी गई है ।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से पुनः निवेदन किया है कि चीन के साथ लगती सीमा क्षेत्र तक सशस्त्र सेना, सामग्री और मशीनरी ले जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है । इसलिए, इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत करने पर विचार किया जाए ।

इस परियोजना निर्माण के लिए संघीय रेलवे बजट 2015-16 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है ।

5. घनौली-देहरादून वाया बददी - नालागढ़ -जगाधरी - सूरजपुर-कालाअम्ब - पांवटा साहिब रेल लाईन:

रेलवे बजट 2010-11 में घनौली - बददी - कालाअम्ब-पांवटा साहिब ब्रॉडगेज रेल लाईन को सामाजिक रूप से वांछनीय रेल लाईनों के अन्तर्गत घोषणा की गई है । राज्य सरकार द्वारा रेलवे मन्त्रालय से इस रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य करने बारे अनुरोध किया गया ।

इस परियोजना निर्माण के लिए संघीय रेल बजट 2015-16 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है ।

6. पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार वाया मण्डी लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में:

राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से पठानकोट-जोगिन्द्रनगर नैरोगेज रेल लाईन को ब्रॉडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करने बारे तथा इसका विस्तार लेह-लद्दाख तक करने के सम्बन्ध में समय समय पर अनुरोध किया है । यह रेल लाईन सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एवं भारत-चीन सीमा पर लेह-लद्दाख क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिये बिना किसी रुकावट के समय पर राशन व उपकरण इत्यादि पहुंचाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी ।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर इस 181 कि०मी० लम्बी रेल लाईन की गेज को बदलने की लागत 2888 करोड़ रु० (Diesel traction के अनुसार) तथा 3280 करोड़ रु० (Electric traction के अनुसार) आंकी गई है। रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस रेल लाईन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाए तथा निर्माण लागत का 33 प्रतिशत भाग प्रदेश सरकार वहन करे। इस मामले में प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को अवगत करवाया है कि सीमित संसाधनों के कारण राज्य सरकार निर्माण लागत का 33 प्रतिशत भाग वहन करने में असमर्थ है । राज्य सरकार द्वारा रेलवे मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है कि इस रेल लाईन को सामरिक महत्व की दृष्टि से **राष्ट्रीय महत्व परियोजना** घोषित की जाए । रेल मन्त्रालय, भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि इस रेल लाईन को नैरोगेज से ब्रॉडगेज लाईन में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त बजट प्रावधान किया जाए ।

इस परियोजना निर्माण के लिए संघीय रेल बजट 2015-16 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है ।

XII. मूल्यांकन प्रभाग:

योजना विभाग के मूल्यांकन प्रभाग को विभिन्न महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं व परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य कार्यान्वयन प्रक्रिया को जांचना है ताकि स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली मुश्किलों व कमियों का पता लग सके और इन तथ्यों पर आधारित कार्यान्वयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय/ सुझाव दिए जा सकें। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2014-15 में मूल्यांकन प्रभाग को Evaluation study on Technical Institution situated in Himachal Pradesh का कार्य सौंपा गया है जिसका कार्य प्रगति पर है।

XIII. विधायक प्राथमिकता योजना प्रभाग:

विधायक प्राथमिकता प्रभाग द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान निम्न कार्य निष्पादित किए गए:-

1. वर्ष 2013-14 के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गई तथा अनुवर्ती कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों से मंगवाई गई । विभागों से अनुवर्ती कार्यवाही प्राप्त होने के पश्चात् संकलित की गई तथा सभी माननीय विधायकों को उपलब्ध करवाई गई ।
2. वार्षिक योजना 2015-16 के लिए प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 एवं 24 जनवरी, 2015 को माननीय विधायकों की बैठकों का आयोजन किया गया । इन बैठकों में माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों एवं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को संकलित करके सभी सम्बन्धित विभागों एवं माननीय विधायकों को प्रेषित किया गया । सभी सम्बन्धित विभागों से आग्रह किया गया कि वे बैठकों की कार्यवाही पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विधायक एवं योजना विभाग को सूचित किया जाए ।
3. प्रदेश सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप माननीय विधायकों द्वारा तीन विकास शीर्षों सड़क, ग्रामीण पेयजल एवं सिंचाई के अन्तर्गत दो-दो प्राथमिकताओं की योजनाएं नई एवं चालू योजनाओं के अन्तर्गत बजट में शामिल करने के लिए दी जाती है । इस प्रकार प्रत्येक विधायक की 6 नई एवं 6 चालू योजनाएं बजट में सम्मिलित की जाती है । माननीय विधायक को यह छूट होती है कि वह सभी 6 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं। उपरोक्त के अनुरूप माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं प्राप्त करने के उपरान्त संकलित की गई । संकलित प्राथमिकताओं को **“नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2015-16”**, के रूप में प्रकाशित की गई । यह प्रकाशन राज्य के वार्षिक बजट का हिस्सा है ।
4. विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य गतिशील प्रवृत्ति का है । वर्ष के दौरान माननीय विधायकों से योजनाओं में फेरबदल/प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए । इन प्रस्तावों पर सरकार की अनुमोदित नीति के अनुरूप वांछित कार्यवाही की गई । सम्बन्धित विभागों को माननीय विधायकों के प्रस्तावों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए गए तथा सम्बन्धित माननीय विधायकों को भी फेरबदल/ प्रतिस्थापित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से सूचित किया गया ।

XIV. कम्प्यूटर प्रभाग:

कम्प्यूटरीकरण आवश्यकताओं की विभाग में प्रतिपूर्ति तथा योजना आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय आंकड़ों के रख रखाव के लिए कम्प्यूटर प्रभाग की स्थापना की गई है । योजना विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी प्रकाशन रिपोर्टें पहले कम्प्यूटर पर ही तैयार किए जाते हैं तथा उसके उपरान्त मुद्रण करवाया जाता है । यह प्रभाग, विभाग की साफ्टवेयर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रभागों के निम्न साफ्टवेयर को विकसित किया है :-

1. वार्षिक योजना 2014-15 तथा पंचवर्षीय योजना के लिए जी0एन0 सोफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
2. आर.आई.डी.एफ. का सोफ्टवेयर / सुधार ।
3. माननीय विधायकों की प्राथमिकता की स्कीमों के सोफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
4. स्टेट इनोवेशन कॉउंसिल सोफ्टवेयर विकसित करना
5. वार्षिक योजना (2014-15) के दस्तावेज का कार्य ।
6. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों व अतिरिक्त मंहगाई भत्तों को तैयार करने सम्बन्धी सोफ्टवेयर का रूपान्तर / सुधार ।
7. माननीय विधायकों की स्कीमों को सोफ्टवेयर के द्वारा Data Entry.
8. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के बजट परिव्ययों का जिलावार एवं एस0ओ0ई0-वार आंक्टन ।
9. विभिन्न कार्यक्रमों / स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट्स ।
10. विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की आयकर विवरणिकाओं को तैयार करने में सहायता के लिए सोफ्टवेयर का रूपान्तर/सुधार ।
11. माननीय विधायकों के साथ योजना के सूत्रीकरण से सम्बन्धित बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्यवाही का कम्प्यूटरीकरण करने तथा वर्ष 2014-15 के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्रेषित की गई प्राथमिकता वाली स्कीमों का बजट दस्तावेज तैयार करने में सहायता ।
12. Fact Book on Manpower तथा Quick Estimates 2013-14 के दस्तावेजों को तैयार करने में सहायता ।
13. विभाग की विभिन्न बैठकों के लिए Power Point Presentation.
14. 20-सूत्रीय कार्यक्रम त्रैमासिक रिपोर्ट्स ।
15. विभाग की Web site की maintenance/updation.
16. विभाग के सभी प्रभागों को वर्ष के दौरान कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई ।

17. आर.एफ.डी.सोफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
18. ई-डिसपैच कार्य ।
19. ई-वितरण (हिमकोष) कार्य ।
20. ई-सर्विस बुक का कार्य ।
21. ए0सी0ए0/एस0पी0ए0 केन्द्रीय सहायता (योजना आयोग)
22. संसद सदस्यों के सोफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
23. विकेन्द्रीकृत योजनाओं का सोफ्टवेयर की मोनिटरिंग ।
24. ई-विधान का कार्य व मोनिटरिंग ।

3.3. जिला कार्यालय:

प्रदेश के सभी 10 गैर-जनजातीय जिलों में जिला योजना कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। जिला योजना कक्ष जिला स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तों के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट को मुख्य योजना अधिकारी घोषित किया गया है। जिला योजना अधिकारी, जिला योजना कक्षों के मुखिया हैं। जिला योजना कक्षों को निम्न स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है :-

1. जिला योजना अधिकारी
2. साख योजना अधिकारी
3. सहायक अनुसंधान अधिकारी
4. सांख्यिकीय सहायक
5. वरिष्ठ सहायक (जिला शिमला, मण्डी एवं कांगड़ा में कुल तीन पद)
6. आशुटंकक
7. लिपिक
8. चपड़ासी

योजना विभाग द्वारा संचालित सभी विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों जैसे कि विकास में जन सहयोग, क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि, मुख्यमन्त्री ग्राम पथ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना तथा जिला ईनोवेशन फंड इत्यादि को जिला स्तर पर जिला योजना कक्षों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य एवं अन्य कार्य भी जिला योजना कक्षों के माध्यम से किये जा रहे हैं। जिला स्तर पर योजना, विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी योजना कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य भी जिला योजना कक्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर जिला योजना कक्ष, राज्य सरकार के विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जिला योजना अधिकारी जिला स्तर पर विभाग का जन सूचना अधिकारी है। प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकृत नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में जिला योजना कक्षों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उप-नियम 4(1) (बी) के अन्तर्गत सूचना:

| | | |
|------|--|---|
| (i) | विभाग के कार्य एवं कर्तव्य | कृपया मद् 'पृष्ठभूमि एवं परिचय' तथा 'संगठनात्मक ढांचा' का अवलोकन करें । |
| (ii) | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं ड्यूटी। | <p>सलाहकार (योजना) विभाग का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण । सलाहकार (योजना) कार्य निष्पादन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार की सहायता करते हैं तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) हि0प्र0 सरकार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं ।</p> <p>संयुक्त निदेशक (योजना) संयुक्त निदेशक कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । वह सलाहकार (योजना) के साथ विभिन्न दायित्व निवारण एवं कार्य जैसे योजना प्रारूपण, कार्यान्वयन एवं समय-समय पर योजना आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन में कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ।</p> <p>उप-निदेशक (योजना) सभी उप-निदेशक विभाग के विभिन्न प्रभागों जैसे कि योजना प्रारूपण, योजना कार्यान्वयन, परियोजना प्रारूपण, नौराड़, मूल्यांकन, जन-शक्ति एवं रोजगार, कम्प्यूटरीकरण, क्षेत्रीय एवं जिला नियोजन, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, आर.एफ.डी., इत्यादि के नियन्त्रक हैं । समस्त उप-निदेशक विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सलाहकार (योजना) की सहायता/सहयोग करते हैं ।</p> <p>अनुसंधान अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी विभाग के विभिन्न प्रभागों के नियन्त्रण में उप-निदेशकों की सहायता करते हैं । सभी नस्त्रियां उनके माध्यम से उप-निदेशकों को भेजी जाती हैं । जिला योजना अधिकारियों को उपलब्ध करवाया गया स्टाफ एवं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मद्-3.3. "जिला कार्यालय" में किया गया है ।</p> <p>सहायक अनुसंधान अधिकारी विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>सांख्यिकीय सहायक विभिन्न कार्यों, प्रस्तावों एवं पत्राचार अभिमत के उपरान्त अनुसंधान अधिकारियों को आगामी उच्च स्तर का निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत करते हैं ।</p> <p>गणक विभाग के विभिन्न प्रभागों में कार्यरत हैं तथा अनुसंधान अधिकारियों द्वारा जो कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं उनका निष्पादन करते हैं ।</p> |

कार्यक्रम योजना अधिकारी

कार्यक्रम योजना अधिकारी कम्प्यूटर कक्ष के प्रभारी हैं। वह योजना विभाग के कम्प्यूटीकरण के कार्य, जैसे कि सॉफ्टवेयर तैयार करना, इत्यादि में सहायता करते हैं।

गणक संचालक

विभाग में कम्प्यूटीकरण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यक्रम योजना अधिकारी तथा विभिन्न प्रभागों की सहायता करते हैं।

अधीक्षक ग्रेड-1

अधीक्षक वर्ग-1 योजना विभाग के प्रशासनिक कक्ष में प्रशासनिक कार्यों को दक्षता से निष्पादित करने के लिए अधीक्षक ग्रेड-1 का पद सृजित किया गया है। प्रशासन प्रभाग के सभी सम्बन्धित सहायक अपनी नस्तियां आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से संयुक्त निदेशक जो कि कार्यालय अध्यक्ष भी हैं, को प्रस्तुत करते हैं।

अधीक्षक ग्रेड-11

यह पद विभाग में रिक्त है। अधीक्षक ग्रेड-11 प्रशासन कक्ष में कार्यरत सभी कर्मचारियों के कार्यों पर नजर रखता है, तथा नस्तियां आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करता है।

वरिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ सहायक

विभाग की स्थापना से सम्बन्धित मामलों को अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों के स्तर पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हैं।

लिपिक

यह प्रशासन प्रभाग में कार्यरत हैं तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी / अधीक्षक वर्ग-11 द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करते हैं।

निजि सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/कनिष्ठ आशुलिपिक

ये कर्मचारी विभागाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक एवं उप-निदेशकों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने के लिए कार्यरत हैं तथा विभाग की गोपनीय किस्म की नस्तियों एवं अभिलेखों का रख-रखाव करते हैं।

आशु-टंकक

जिला योजना अधिकारियों के साथ श्रुतलेख/टंकण कार्य/टैलीफोन काल सुनने / इत्यादि कार्यों के लिए कार्यरत हैं। जिला योजना अधिकारियों द्वारा सौंपे गए सभी प्रकार के कार्य करते हैं।

प्रतिलिपि यन्त्र चालक

विभाग की फोटोस्टेट मशीनों का संचालन करते हैं।

चपड़ासी

विभाग की डाक, नस्तियों को लाना व ले जाना, टेबल इत्यादि की सफाई तथा कार्यालय मेनुअल के अनुरूप कार्य करते हैं।

चौकीदार

विभाग के सभी कमरों पर प्रतिदिन सायं छुट्टी के उपरान्त निगरानी/देखरेख रखते हैं। सफाई कर्मचारी

| | | |
|-------|---|---|
| | | विभाग के कमरों, वरामदों, शौचालयों एवं वास वेशनों की सफाई हेतु नियुक्त हैं । |
| (iii) | प्रतिबद्धता एवं परिवेक्षण हेतु निर्णय प्रक्रिया के लिए अपनाई गई विधि एवं माध्यम | सलाहकार (योजना) विभागाध्यक्ष हैं तथा उनमें विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियां निहित हैं । विभाग के विभिन्न अधिकारी विभागीय कार्यों को निपटाने एवं उचित निर्णय लेने हेतु विभागाध्यक्ष की सहायता करते हैं । विभागाध्यक्ष विभाग के विभिन्न अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं। विभाग की नस्तियां प्रभागाध्यक्षों के माध्यम से अन्तिम निर्णय हेतु सलाहकार (योजना) को प्रस्तुत की जाती है । |
| (iv) | कार्य निष्पादन हेतु मापदण्ड | विभाग के भिन्न-2 कार्य विभिन्न स्तर पर सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित नियमों/ नितियों एवं शक्तियों के अनुसार निष्पादित किए जाते हैं । |
| (v) | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली एवं अभिलेख जो विभाग में हैं अथवा इनके नियन्त्रण या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग किए जा रहे हैं । | <p>विभाग में प्रयोग किए जा रहे नियमों-विनियमों, निर्देशों नियमावली का संक्षिप्त विवरण निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सी.सी.एस. लीव रूलज, 1972 2. सी.सी.एस. एण्ड सी.सी.एस रूलज 3. एच.पी.एफ.आर रूलज 4. एच.पी.एफ.आर एण्ड एस आर रूलज 5. मैडिकल एटैन्डेंस सुविधा नियम 6. गृह निर्माण अग्रिम रूलज 7. यात्रा अवकाश रूलज 8. बजट मैनुअल 9. आफिस मैनुअल 10. पेंशन नियम 11. सामान्य भविष्य निधि नियम <p>निम्नलिखित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विकेन्द्रकृत नियोजन 2. विकास में जन सहयोग कार्यक्रम 3. क्षेत्रीय विकास निधि योजना 4. मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना 5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना 6. पिछड़ा क्षेत्र उप योजना 7. बाहया सहायता परियोजना प्रभाग 8. ग्रामीण संरचना विकास निधि 9. जिला इनोवेटिव निधि (District Innovative Fund) <p>अधिकारी/ कर्मचारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों जिन्हें योजना विभाग की वैबसाईट पर डाला गया है का प्रयोग कर सकते हैं । विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन जिसमें संगठनात्मक ढांचा भी दिया गया है को विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है</p> |

| | | |
|--------|---|--|
| (vi) | दस्तावेजों का विवरण जोकि विभाग में हैं या इसके नियन्त्रण में हों। | पंच-वर्षीय योजना/ वार्षिक योजना, भिन्न-भिन्न योजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन, जनशक्ति एवं रोजगार पर फैक्ट बुक, पंच-वर्षीय योजना मध्यकालीन समीक्षा, विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सूची, जिलावार त्रैमासिक 20-सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन रिपोर्ट एवं विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट । |
| (vii) | किसी नीति को बनाने या कार्यान्वित करने हेतु लोक सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई विवरण हो तो । | विभाग की विभिन्न समितियों में जन-प्रतिनिधियों को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । गैर-सरकारी सदस्य समितियों की बैठकों में सरकार की नीति-निर्धारण के लिए बहुमूल्य सुझाव देते हैं । इसके अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में भी जन-प्रतिनिधि बैठकों के माध्यमों से भाग लेते हैं । हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड, राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तर की योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए समस्त विधायकों एवं राज्य से सम्बन्धित सांसदों के साथ बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाता है । उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के नीति-निर्धारण, योजनाओं के कार्यान्वयन, समीक्षा एवं अनुश्रवण में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है । |
| (viii) | बोर्ड, कौंसिल, कमेटियां एवं अन्य निकाय/ सभाओं का गठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परामर्श हेतु शामिल हों तथा इनकी बैठकें लोगों के लिए खुली हों या बैठकों की कार्यवाही लोगों की पहुंच में हो। | विभाग में निम्नलिखित बोर्ड/कमेटियों का गठन किया गया है:- <ol style="list-style-type: none"> 1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड । 2. राज्य/जिला/उप-मण्डल स्तरीय योजना विकास एवं 20-सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समितियां । इन बोर्ड/कमेटियों की बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती हैं फिर भी आवेदन करने पर बैठकों की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति लोग ले सकते हैं । |
| (ix) | विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका । | कृपया मद्- '2. योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' का अवलोकन करें |
| (x) | प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला मासिक परिश्रमिक तथा नियम प्रणाली । | सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमानों के आधार पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं । विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों का विवरण कृपया मद् '2.योजना विभाग-स्टाफ स्थिति' पर दिया गया है । |
| (xi) | प्रत्येक एजेंडसी का बजट आवंटन जिसमें सभी योजनाओं का विवरण तथा व्यय प्रस्ताव एवं आहरण की रिपोर्ट जो बनती है । | योजना विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर योजना स्कीमों एवं विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमों के लिए सम्बन्धित विभागों एवं उपायुक्तों को धन का आवंटन प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है । प्रभाग वार उद्देश्य, कार्यक्रम, आवंटन, व्यय, इत्यादि का विस्तृत उल्लेख सम्बन्धित प्रभागों के विवरण में किया जा चुका है । |

| | | |
|---------------|---|--|
| (xii) | उपदान कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका जिसमें लाभभोगियों का विवरण धनराशि सहित । | विभाग द्वारा सीधे तौर पर कोई उपदान कार्यक्रमों का निष्पादन नहीं किया जाता है । |
| (xiii) | रियायतों के पात्रों का विवरण । | लागू नहीं है । |
| (xiv) | इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से सूचना उपलब्धता बारे । | विभाग की वैवसाईट बनाई गई है । विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना विभाग की वैवसाईट www.hp_planning.nic.in पर उपलब्ध है। |
| (xv) | लोगों/नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु लाइब्रेरी या वाचनालय का प्रावधान हो तो उसका विवरण जिसमें समय का विवरण भी हो । | विभाग के मुख्यालय एवं जिलों से सम्बन्धित कोई भी सूचना विभाग के कार्यालयों से 10.00 से 5.00 बजे सायं तक, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर, प्राप्त की जा सकती है । |
| (xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के पद-नाम एवं विवरण । | सूचना नीचे अलग से दी गई है । |
| (xvii) | ऐसी अन्य कोई सूचना हो तथा हर वर्ष अपडेट की जानी हो । | लागू नहीं है । |

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी का विवरण ।

| क्रम सं० | प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी) | पदनाम | पता दूरभाष सहित | क्षेत्राधिकार युनिट अन्तर्गत नियन्त्रण में को सूचना देने अपेक्षित है / जिसके उनके प्रार्थी सूचना देनी है |
|--|---|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| (क) सचिवालय स्तर पर | | | | |
| 1. | श्री उत्तम सिंह लोक सूचना अधिकारी | संयुक्त - सचिव (योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार | आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2628504 | सचिवालय स्तर पर योजना विभाग |
| 2. | डॉ० श्रीकान्त बाल्दी अपील प्राधिकारी | अतिरिक्त मुख्य सचिव, (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार | आर्मजडेल बिल्डिंग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2. दूरभाष नं. 2620043 | सचिवालय स्तर पर योजना विभाग |
| अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 27-06-2009 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 (एक्ट नं. 22 ऑफ 2005) के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत । | | | | |
| (ख) राज्य स्तर पर | | | | |
| 1. | श्री हरकृष्ण सिंह, लोक सूचना अधिकारी | अनुसंधान अधिकारी (प्रशासन) | आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2625856 | राज्य स्तर पर योजना विभाग |
| 2. | श्री दिवान चन्द, सहायक लोक सूचना अधिकारी | अधीक्षक श्रेणी-11 | आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2880876 | राज्य स्तर पर योजना विभाग |
| 3. | श्री अक्षय सूद, अपील प्राधिकारी | सलाहकार (योजना) | आर्मजडेल बिल्डिंग, योजना भवन, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2 दूरभाष नं. 2621698 | राज्य स्तर पर योजना विभाग |
| अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत । | | | | |

| क्रम सं० | प्राधिकारी का नाम (जैसे कि सहायक लोक सूचना अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं अपील प्राधिकारी) | पदनाम | पता दूरभाष सहित | क्षेत्राधिकार / युनिट जिसके अन्तर्गत उनके नियन्त्रण में प्रार्थी को सूचना देनी अपेक्षित है |
|--|--|--------------------|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| (ग) जिला स्तर पर | | | | |
| 1. | श्री तारा चन्द चौहान, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय शिमला दूरभाष नं.0177-2808399 | सम्बन्धित जिला |
| 2. | श्री प्रदीप कुमार पुर्ला, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय सोलन दूरभाष नं.01792-220697 | सम्बन्धित जिला |
| 3. | श्री अनुज कुमार, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर स्थित नाहन दूरभाष नं.01702-223008 | सम्बन्धित जिला |
| 4. | श्री गौतम चन्द, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय ऊना दूरभाष नं.01975-226057 | सम्बन्धित जिला |
| 5. | श्री रविन्द्र कटोच, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला दूरभाष नं. 01892-223316 | सम्बन्धित जिला |
| 6. | श्री तेज सिंह ठाकुर लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय मण्डी दूरभाष नं.01905-225212 | सम्बन्धित जिला |
| 7. | श्री विनोद कुमार लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय चम्बा दूरभाष नं.01899-226166 | सम्बन्धित जिला |
| 8. | श्रीमती मुक्ता ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर दूरभाष नं.01978-222668 | सम्बन्धित जिला |
| 9. | श्री कुलदीप सिंह, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय कुल्लू दूरभाष नं.01902-222873 | सम्बन्धित जिला |
| 10 | श्री राजीव कुमार, लोक सूचना अधिकारी | जिला योजना अधिकारी | जिला योजना कक्ष, उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर दूरभाष नं. 01972-222702 | सम्बन्धित जिला |
| अधिसूचना संख्या: पीएलजी.ए (3) 4/2005 दिनांक 22-12-2005 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के सैक्शन 5 एवं 9 के अन्तर्गत । | | | | |

(FOR OFFICE USE ONLY)



ANNUAL
GENERAL ADMINISTRATIVE
REPORT
2014-2015

Planning Department
Government of Himachal Pradesh
Shimla-171002

CONTENTS

| Sr. No. | Subject | Page No. |
|---------|---|----------|
| 1. | BACKGROUND AND INTRODUCTION | 1 |
| 2. | STAFF POSITION – PLANNING DEPARTMENT | 1 |
| 3. | ORGANIZATIONAL STRUCTURE | 2 |
| 3.1. | STATE PLANNING BOARD | 2-4 |
| 3.2. | HEADQUARTERS | 4 |
| | (I) Administration Division | 4 |
| | (II) Plan Formulation Division | 5 |
| | (III) Plan Implementation Division | 6-8 |
| | (IV) Backward Area Sub Plan (BASP) Division | 8-9 |
| | (V) Regional & District Planning Division | 9-11 |
| | (VI) Manpower and Employment Division | 11 |
| | (VII) Externally Aided Project (EAP) Division | 11-16 |
| | (VIII) Skill Development | 17 |
| | (IX) NABARD – RIDF Division | 18-22 |
| | (X) 20-Point Programme-2006 Division | 22-24 |
| | (XI) Railway Division | 24-27 |
| | (XII) Evaluation Division | 28 |
| | (XIII) MLA Priority Division | 28-29 |
| | (XIV) Computerization Division | 29-30 |
| 3.3. | DISTRICT OFFICES | 30 |
| 4. | INFORMATION OF RTI ACT-2005 | 31-38 |

1. BACKGROUND AND INTRODUCTION:

The State Planning Department has been mandated to formulate Five Year and Annual Plans, determine the State Plan priorities, fixing of plan size, earmarking of funds for various schemes, etc. The other activities consist of Project Appraisal of Externally Aided Projects, Implementations of scheme under RIDF funded by NABARD, Monitoring of Plan Schemes, Decentralization of Planning process, Evaluation of Schemes, Man Power Planning, Implementation of Backward Area Sub-Plan, Review of 20-Point Programme, works related to construction of rail lines and allied works in HP, etc.

2. STAFF POSITION - PLANNING DEPARTMENT:

| Sr.No. | Category | Sanctioned Posts | Filled-up | Vacant |
|--------|---|------------------|------------|-----------|
| 1. | Chairman Employment Generation & Resources mobilization | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Chairman (20 Point Programme) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Dy. Chairman, State Planning Board | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Adviser (Planning) | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Joint Director | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Deputy Directors | 6 | 6 | 0 |
| 7. | Research Officers / District Planning Officers | 20 | 19 | 1 |
| 8. | Credit Planning Officers | 10 | 10 | 0 |
| 9. | Assistant Research Officer | 17 | 11 | 6 |
| 10. | Statistical Assistant | 21 | 9 | 12 |
| 11. | Computer | 6 | 3 | 3 |
| 12. | System Analyst | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Programmer | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Programme Planning Officer | 1 | 2 | 0 |
| 15. | Computer Operators | 2 | 1 | 0 |
| 16. | Private Secretary | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Personal Assistant | 2 | 2 | 0 |
| 18. | Senior Scale Stenographer | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Junior Scale Stenos | 6 | 5 | 1 |
| 20. | Steno-Typists | 12 | 3 | 9 |
| 21. | Superintendent Grade-I. | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Superintendent Grade-II. | 1 | 1 | 0 |
| 23. | Senior Assistant | 20 | 20 | 0 |
| 24. | Junior Assistant | 3 | 2 | 1 |
| 25. | Clerk | 13 | 11 | 2 |
| 26. | DMO | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Driver | 5 | 5 | 0 |
| 28. | Peons | 20 | 20 | 0 |
| 29. | Chowkidar | 1 | 1 | 0 |
| 30. | Frash | 1 | 1 | 0 |
| 31. | Jamadar | 1 | 1 | 0 |
| 32. | Sweeper | 1 | 1 | 0 |
| | TOTAL | 180 | 141 | 39 |

* : Pay and allowances of Deputy Chairman, State Planning Board and Chairman, Twenty Point Programme are decided by the State Government at the time of their nomination.

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE:

The organizational structure of Planning Department consists of following three tiers:-

- 3.1. State Planning Board.
- 3.2. Headquarters.
- 3.3. District Offices.

3.1. STATE PLANNING BOARD:

State Planning Board was reconstituted by nominating official and non-official members on 12th Feb., 2013.

I. Composition:

(i) Chairman: Chief Minister

(ii) Non-official Members:

1. All Cabinet Ministers
2. All MPs (Lok Sabha and Rajya Sabha)
(Notified separately)
3. One Representative each of Farmers,
Industrialists Trade- SC, ST, OBC, Women
(Notified separately)
4. Former MPs / MLAs and sitting MLAs
(Notified separately)
5. Ex-Chief Secretaries/ Retd. Government Officers of key departments
(Notified separately)

(iii) Official Members:

1. Chief Secretary,
2. All Administrative Secretaries
3. All Vice-Chancellors of Universities in Himachal Pradesh

(iv) Ex-officio Members:

1. President, H.P. Committee, PHD Chamber of Commerce & Industries
2. Officer-in-Charge of Regional Office, NABARD, Himachal Pradesh

(v) Member Secretary : Adviser (Planning)

II. Terms of Appointment: As may be prescribed by the Govt. of H.P. from time to time.

III. Headquarters of the Board:

The Headquarters of the State Planning Board will be in Shimla. The Board may, however, meet at any other place as and when considered necessary.

IV. Functions:

The functions of the Board are as under:-

- To determine the Plan priorities for State in the light of overall National objectives.
- To assess the man-power and financial resources and their organizational and institutional capabilities.
- To assess the level of development in important sectors for the State as a whole as well as for various districts and regions.
- In the light of above, formulate a long term perspective plan for the most effective and balanced utilization of State resources.
- To assist the State Government in the formulation of the five year plans and annual plans and evolve a short term strategy (Five Year Plan) for planned development after examination of different approaches so as to achieve maximum growth rate keeping in view Social justice.
- To identify factors which tend to retard the economic and social development of the State and determine conditions to be established for successful execution of the plan.
- To suggest policies and programmes for removing the imbalances prevailing in various regions in the State and to assist in the formulation of the district plans/area Plans.
- To review the progress of implementation of the plan programmes and recommend such adjustments in policies and measures as the review may indicate.
- To make critical appraisal of on-going programmes leading to a determination of the extent to which some of the identified on-going programmes or projects would need to be continued.
- To review the implementation of plan projects and other development schemes.
- To advise on the problem of unemployment and suggest ways and means for tackling it.
- To advise on such other matters connected with the economic development as may be assigned by the State Government.
- To make such interim or ancillary recommendations as appear to it to be appropriate for facilitating the discharge of duties assigned or on a consideration of the prevailing economic conditions, current policies, measures and development programmes or an examination of such

specific problems as may be referred to it for advice by the State Government.

- To collect and analyse information/data regarding Plan schemes.
- To review the working of Government Corporations, Boards and suggest means for their improvement.
- To highlight difficulties being faced in the implementation of the plan schemes at district level and suggestions to overcome them.
- To evaluate various projects/corporations according to the directions of Chairman.

State Annual Plan size amounting to Rs. 4400.00 crore for the year 2014-15 was discussed and approved.

3.2. HEADQUARTERS:

According to the rule of business, following is the structure of Planning Department for transaction of official business:-

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Minister – Incharge | Hon'ble Chief Minister, HP. |
| 2. | Administrative Secretary | Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP. |
| 3. | Head of Department | Adviser (Planning) HP. |

Adviser (Planning) is the Head of the Department. The various divisions viz. Plan Formulation, Project Formulation, Plan Implementation, Computerization, Evaluation, Manpower & Employment, Administration, Regional & District Planning, Backward Area Sub-Plan, Railways and Twenty Point Programme are functioning under the control of Adviser (Planning). These divisions are headed by Joint Director / Deputy Directors. A Joint Director / Deputy Director functions as Head of Office. The Division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. are given below:-

I. ADMINISTRATION DIVISION:

The Administration Division functions under the control of Joint Director (Administration).

The Administration Division does routine Administrative and Personnel Management and other related works such as recruitment, promotion, confirmation, transfers / postings, disciplinary actions / proceedings, budget, accounts, reply of audit / CAG / PAC paras, store & stock and other miscellaneous works assigned to it. During the year under report, the Administrative Division of the department has performed the above mentioned works / duties.

II. PLAN FORMULATION DIVISION:

1. Preparation of State's Draft Annual Plan (2015-16) Document

- ◆ A series of meetings with concerned departments were convened in the month of October, 2014 under the Chairmanship of Pr. Secretary (Planning) to the Govt. of H.P. to discuss the plan priorities of the departments for Annual Plan (2015-16).
- ◆ The guidelines for preparation of detailed Annual Plan document for the year 2015-16 were issued to all concerned departments requesting them to send detailed Plan proposals.
- ◆ On scrutiny of departmental proposals and analysis of data collected from departments for various heads of development, a Draft Annual Plan (2015-16) document was prepared by proposing a plan size of Rs. 4800 crore for the meeting of State Planning Board for its approval which was held on 26th February, 2015. The same has also been passed by the State Legislature. The Sector –wise break up is given as under:-

(Rs. in Crore)

| Sr. No. | Sector | Annual Plan (2014-15) Proposed Outlay |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Agriculture and Allied Activities | 511.90 |
| 2. | Rural Development | 150.35 |
| 3. | Special Area Programme | 23.10 |
| 4. | Irrigation & Flood Control | 414.50 |
| 5. | Energy | 642.20 |
| 6. | Industry and Minerals | 66.31 |
| 7. | Transport & Communication | 886.86 |
| 8. | Science, Technology & Environment | 13.17 |
| 9. | General Economic Services | 177.14 |
| 10. | Social Services | 1841.99 |
| 11. | General Services | 72.48 |
| | Total : | 4800.00 |

- ❖ The detail of Demand / Major Head/ Sub Major Head/ Minor Head / Sub- Minor Head wise schematic outlays were conveyed to the Finance Department for budgeting the same in the State Budget 2015-16.

III. PLAN IMPLEMENTATION DIVISION:

After passing of budget from Vidhan Sabha, the implementation of plan budget starts in following ways: -

1. This division examines proposals of diversion and re-appropriation received from different departments thoroughly. Keeping in view the importance and priorities of the cases, diversions/re-appropriations are permitted.
2. Additionalities are provided from those Schemes/Heads, which have the possibility of low intensity of expenditure. A cut is imposed on such schemes in order to provide additionalities in other schemes, which are of utmost importance.
3. This division also arranges meetings with concerned departments to sort out matters of additionalities to dispose-off cases promptly.
4. During the period under report, proposals on diversions and re-appropriations were called from all departments through concerned Administrative Departments (ADs) in respect of Earmarked & Non-earmarked Sectors for scrutiny and examination.
5. During the year under report, 354 references from different departments for obtaining advice on their departmental files had been received and were examined, processed and suitably advised after obtaining prior approval of the competent authority.
6. To smoothen Plan Implementation in consonance with budget, the entire plan has been linked with budget through software for this purpose.

In addition to this, following activities were undertaken by the Plan Implementation during the period under reference:-

1. Review of Quarterly Progress Reports/ Quarterly Review Meetings:

This division has been entrusted with the responsibility to monitor the financial and physical progress achieved under different heads of development under Plan.

Following quarter-wise norms for Plan expenditure/ACA related schemes under various Head of Developments have been fixed:-

| Quarters | Plan Expenditure (%) | ACA related Schemes (%) |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| First | 20% | 30% |
| Second | 25% | 35% |
| Third | 30% | 35% |
| Fourth | 25% | - |
| Total | 100% | 100% |

The Approved/ Revised outlays alongwith scheme of financing of Annual Plan 2014-15 were supplied to NITI Ayog, Govt. of India for their approval.

Meeting of State Level Planning, Development and Twenty Point Review Committee to review Annual Plan 2013-14 was held on 26th June, 2014 under the

Chairmanship of Shri Ram Lal Thakur, Hon'ble Chairman. Meeting to review ACA related schemes / Projects (2014-15) was held on 14th October, 2014 under the Chairmanship of Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.

2. Quarterly Budget Authorization:

A new system of Quarterly Budget Authorization has been started from the year 1999-2000. Accordingly, quarterly budget authorization for the year 2014-15 was authorized as per norms to all the departments and quarterly progress reports were collected from the departments for review.

3. Budget Assurances:

A review meeting of implementation of budget assurances for the year 2014-15 was held on 3rd June, 2014 under the Chairmanship of Chief Secretary for timely implementation of budget assurances by the concerned department for 2014-15. The information from nodal departments was collected and compiled.

4. Pending issues with Government of India:

Pending issues with Government of India is a compilation of the important matters / issues which are pending with GoI. Important issues were uploaded in software developed by Cabinet Secretariat regularly for follow up through e-Samiksha.

5. Centrally Sponsored Schemes:

Centrally Sponsored Schemes have a very important place in the economy of the State as these schemes supplement the State's resources. At present various Centrally Sponsored Schemes either 100% or shared in some ratio between Centre and State are in progress. This Division had advised to the implementing departments on financial implications of CSS and their counterpart state provisions in plan.

6. United Nation Development Programme:

As per the action plan of the Human Development Towards Bridging Inequalities (HDBI) Project four studies were outsourced to independent agencies:-

1. Study to assess the Human Development for inclusive and sustainable Green Growth in Himachal Pradesh.
2. Study to explore the causes of Declining Sex Ratio in the age group of 0-6 years.
3. Financial Report Card on Human Development in Himachal Pradesh.
4. Study to assess the Socio-Economic Status of Gujjars in Himachal Pradesh.

Another set of four TORs for conducting four more studies is being prepared as per the action plan.

IV. BACKWARD AREA SUB-PLAN (BASP) DIVISION:

State Government has notified the Backward Area Sub Plan for identifying and mitigation of sub-regional disparities in development on various parameters. During 1995-96, H.P. Government had framed a comprehensive policy for backward areas which is being implemented since then in Himachal Pradesh. The salient features of the policy are as under:-

- (a) The Backward Area Sub Plan comprises three categories:-
- (i) Backward Blocks:** All blocks having 50% or more than 50% declared Backward Panchayats have been declared as Backward Blocks. Presently, there are Eight Backward Blocks in the State having 304 Backward Panchayats.
 - (ii) Contiguous Pockets:** Group of five or more declared backward panchayats having geographical contiguity have been declared as Contiguous Pockets. There are fifteen Contiguous Pockets having 133 backward panchayats in the State.
 - (iii) Dispersed Panchayats:** Other Panchayats which do not fall in the above mentioned categories (i) & (ii) have been declared as Dispersed Panchayats. There are 109 Dispersed Panchayats in the State.
- (b) Funds are earmarked for Backward Area Sub-Plan (BASP) under selected thirteen heads of development.
- (c) Both, beneficiaries and infrastructure development oriented approaches have been adopted in these areas.
- (d) The allocation of funds to districts is made in proportion to the total number of backward declared Panchayats of the district.
- (e) The Sub Plan is administered through Deputy Commissioners who can make need based diversions / re-appropriation with the approval of DPDC. Administrative and financial delegation has been given to the districts.
- (f) The Planning Department controls the Capital Heads only under BASP and Revenue Heads are operated by other concerned Departments.

There are 546 Panchayats declared as backward out of 3243 Panchayats in the State. A single Demand No-15 "Planning and Backward Area Sub Plan" has been created for separate budgetary arrangements for BASP. BASP enjoys sufficient degree of flexibility as District level Planning, Development and Twenty Point

Programme Review Committee is fully authorized to decide priorities within the district. An outlay of Rs. 42 crore was kept for capital works under BASP for the year 2014-15 under Plan and an outlay of Rs. 43 crore has been provided under capital section for the year 2015-16 under BASP (Plan).

The District wise details of Backward Area Sub Plan 2014-15 outlay / expenditure of Capital Section and numbers of Backward declared Panchayats are as under:-

(Rs. in Lakh)

| Sr. No. | District | Number of Backward Declared Panchayats | BASP BUDGET & EXPENDITURE 2014-15 (Capital Section) | |
|---------|--------------|--|---|------------------------------|
| | | | Budget (Plan) | Tentative Expenditure (Plan) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Bilaspur | 15 | 115.38 | 115.38 |
| 2. | Chamba | 159 | 1223.08 | 1223.08 |
| 3. | Hamirpur | 13 | 100.00 | 100.00 |
| 4. | Kangra | 17 | 130.77 | 130.77 |
| 5. | Kullu | 79 | 607.69 | 607.69 |
| 6. | Mandi | 149 | 1146.15 | 1146.15 |
| 7. | Shimla | 83 | 638.46 | 638.46 |
| 8. | Sirmour | 25 | 192.31 | 192.31 |
| 9. | Solan | 3 | 23.08 | 23.08 |
| 10. | Una | 3 | 23.08 | 23.08 |
| | TOTAL | 546 | 4200.00 | 4200.00 |

V. REGIONAL & DISTRICT PLANNING DIVISION:

For the implementation and monitoring of various Decentralized Planning Programmes, Regional and District Planning Division has been set up at the State office of Planning Department. Description of the various activities of Decentralized Planning Programmes are given as under:-

1. Vikas Mein Jan Sahyog Programme (VMJS):

To ensure effective people's participation towards fulfilling their developmental needs in terms of infrastructure at the grass root level as well as to supplement Government's efforts / resources, the programme- Vikas Mein Jan Sahyog (VMJS) was introduced. Under this programme, people's participation is on voluntary basis and through advance contribution in cash which is to be deposited in the Bank / Post Office accounts opened in the name of concerned Deputy

Commissioner. A budget provision of Rs.17.63 crore has been kept for the financial year 2015-16 under this scheme.

2. Sectoral Decentralized Planning (SDP):

Sectoral Decentralized Planning Programme was started in the Pradesh during 1993-94. To maintain inter-regional development balance, distribution of funds is made by the Planning Department on the basis of 60 percent weightage to population and 40 percent weightage to the area of the district as per 1981 Census. Under this programme, schemes of local needs and important missing links occurring in the budgetary allocations are mainly taken up for implementation. A budget provision of Rs. 50 crore has been kept for the scheme during 2015-16.

3. Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY) :

To strengthen the decentralization process, the State Government has started a scheme “Vidhayak Keshetra Vikas Nidhi Yojana” from the year 1999-2000 but it was discontinued during 2001-2002. This scheme was restarted during the year 2003-04 with the budget provision of Rs. 24 lakh which was enhanced to Rs. 25 lakh per MLA in the year 2004-05 , Rs. 30 lakh per MLA in the year 2008-09, Rs. 50 lakh per MLA in the year 2012-13 and Rs. 75.00 lakh per MLA during the financial year 2015-16.

The implementation and monitoring of the scheme is done with the direct involvement of Hon'ble MLAs. The scheme has ensured balanced development of all areas in the state. A budget provision of Rs. 48.99 crore has been kept for the scheme during 2015-16.

4. Mukhya Mantri Gram Path Yojana (MMGPY):

In order to provide connectivity to villages from nearby motorable roads, Kuchha Paths in rural areas are made Pucca besides providing for the construction small culverts/ bridges for providing all weather connectivity to the people residing in far flung areas. The State Government has permitted construction of jeepable/ tractorable link roads upto 2km owing to hilly and difficult geographical areas. Mukhya Mantri Gram Path Yojna was launched during the year 2002-03 in the Pradesh for non-tribal areas. During the year 2004-05, this schemes was discontinued and was restarted during the financial year 2008-09. During 2014-15, Rs. 5 crore have been provided to Deputy Commissioners of 10 Non-Tribal Districts. A budget provision of Rs. 5.50 crore has been made for the scheme during 2015-16.

5 Member Of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS):

Member of Parliament Local Area Development Scheme was started in the year 1993-94 by Govt. of India. Under this scheme, MPs recommend works of developmental nature to be taken up in their constituencies and also of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads,

etc. The sanction orders are issued by the Deputy Commissioner. Rs. 5 crore per MP per annum is allowed to be released by Government of India for various works on the recommendations of the MP.

VI. MANPOWER AND EMPLOYMENT DIVISION:

The following main tasks have been assigned and performed by Manpower and Employment Division

i) Fact Book on Manpower

The work relating to this publication is of continuous nature requiring periodic follow-ups and revisions. In this book, data with statistical tables regarding population, manpower, employment, unemployment, training institutions, directly related to the training and employment is compiled. The compilation work of the report on Fact Book on Manpower” for the year 2012-2013 is under process.

ii) Employment Market Information Programme

The quarterly review reports of employment generation in the organized sector of the economy under “Employment Market Information Programme” was started during the year 1988. The work on quarterly report from 2012-13 has been completed and will be published soon.

VII. EXTERNALLY AIDED PROJECT (EAP) DIVISION:

Externally Aided Project (EAP) Division in the Planning Department has been assigned the task of project appraisal. The Division analyses the project proposals of different departments submitted for seeking funding from external agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, etc. These project proposals are examined keeping in view the technical, administrative, managerial and financial aspects in relation to the socio-economic coverage and overall resource position of the State. Besides this, the division also reviews and monitors the physical and financial progress of all the EAPs being implemented in the State and also keeps track of over all Additional Central Assistance(ACA) being received in respect of EAPs. This division serves as single window for the different donors for identification, appraisal and feed back in respect of EAPs. Principal Secretary (Planning) to the Government of HP has been declared as State Nodal Officer for all Externally Aided Projects (EAPs) in Himachal Pradesh.

Assignments during the year 2014-15:

1. Review and monitoring of financial and physical progress of ongoing EAPs on quarterly basis.

2. Review & Monitoring of Additional Central Assistance due and received in respect of all external aided projects in relation to the expenditure claims filed and releases made by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.
3. Advice be given to the different departments in the context of Externally Aided Project proposals.
4. The Outlays for Annual Plan 2015-16 were prepared in respect of the Externally Aided Projects being implemented in the State.

The Guidelines received from various external aid agencies like World Bank, ADB, JICA, GIZ, AFD & KfW, etc. and Government of India were circulated to the concerned departments to formulate the project proposals. Project proposals received from the departments were analyzed / appraised in the division keeping in view the Technical, Administrative, Managerial, Financial, Social & Economic parameters.

On-Going Externally Aided Projects being implemented in Himachal Pradesh:
(₹ in Crore)

| Sr. No. | Name of the Project | Donor Agency | Nodal Department | Total Cost | Project Period | |
|--------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | | Starting Date | Concluding Date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HP State Road Project | World Bank | Public Works | 1802.84 | Jul-07 | Jun-16 |
| 2 | HP Mid Himalayan Watershed Development Project | World Bank | Forest | 596.25 | Oct-05 | Mar-16 |
| 3 | Swan River Integrated Watershed Management Project | JICA | Forest | 215 | Mar-06 | Mar-15 |
| 4 | Hydrology Project-II | World Bank | I&PH | 59.49 | Project culminated in 2014-15 | |
| 5 | Infrastructure Development Investment Programme for Tourism in HP | ADB | Tourism | 428.22 | 2010 | 2020 |
| 6 | HP Crop Diversification Promotion Project | JICA | Agriculture | 321 | Jul-11 | Mar-18 |
| 7 | HP Clean Energy Transmission Investment Program | ADB | Power | 1927 | Jan-12 | Dec-18 |
| 8 | Power Projects | ADB | Power | 6673.87 | Nov-08 | Jun-16 |
| Total | | | | 12023.67 | | |

Externally Aided Projects in Pipeline:- Proposals in respect of following projects have been examined in this department during the year 2014-15 for posing them to various external donor agencies for availing external assistance and accordingly advices were given to these departments:

(₹ in Crore)

| Sr. No. | Name of Project | Nodal Department | Donor Agency | Estimated cost |
|---------|--|------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Phase-II of JICA Technical Cooperation Project (TCP) for Crop Diversification in HP | Agriculture | JICA | 100% grant |
| 2 | 5 MW Berra Dol Solar Project | Power (NES) | AFD | 50.00 |
| 3 | Strengthen Inclusive Green Growth & Sustainable Development in HP | Envir., Science & Tech | WB | US \$100 million |
| 4 | Chirgaon Majhgaon (60 MW), Triveni Mahadev (78 MW) and Lujai (45 MW) | Power (through HPPCL) | WB | 2860.00 |
| 5 | 8 proposals viz. Devi Kothi HEP, Sai Kothi-I HEP, Sai Kothi-II HEP, Hail HEP, Bara Kamba Stage-I HEP, Bara Kamba Stage-II HEP, Raison HEP & Nogli Stage-II HEP | Power (through HPPTCL) | To be decided by GoI | 1189.06 |
| 6 | 3 Water Supply Schemes for the left out/partially covered habitations of Ghumarwin, Theog, Narkanda, Mashobra & Basantpur Blocks of District Bilaspur & Shimla in HP | I&PH | JICA | 388.43 |
| 7 | Himachal Agriculture Competitive Project in Chamba District | Agriculture | WB | 50.00 |
| 8 | Shimla Comprehensive Mobility Project/Plan | Urban Dev. /MC | WB | 5741.00 (overall cost) /1198.32 (first phase) |
| 9 | Two schemes for Shimla city viz. Improving Water Supply Distribution Systems and Sewerage Scheme | Urban Development | | 307.28 |
| 10 | 2 nd Phase of HP State Roads Project | PWD | WB | 3800.00 (original) 3250 (revised) |
| 11 | Implementation of Power System Master Plan in Himachal Pradesh | Power (through HPPTCL) | JICA | 865.00 |
| 12 | Providing water facility to all the left out/partially covered habitations in Rural Area in HP | I&PH | WB | 3245.00 |

INNOVATION AT STATE LEVEL:

With the pledge to transform Himachal Pradesh into an Innovative State and to promote innovation at State level through sharing of experiences across various sectors within State and to encourage departments to try new initiatives, following initiatives have been taken by State Government:

I. Constitution of State Innovation Council (SInC): State Innovation council was constituted by the Government of Himachal Pradesh on 7th January, 2011 under the Chairpersonship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, giving representation to Administrative Secretaries of the concerned departments and Vice-Chancellors of the Universities in the State. The scope of SInC has been enlarged on 4th August, 2014 by bringing in a few more institutes viz. NIT Hamirpur, Central University and IIT Mandi within the purview of SInC.

II. Promoting Innovation in the State: Till date, following innovations have been adopted by the various departments of the State:

- 1. Plastic Roads:** From 2010-11 onwards, 117.18 KM of plastic roads has been constructed in the State. For this purpose 56.83 MT of plastic waste was utilized.
- 2. Way-Side Amenities:** Way side amenities on waste land on the curves of National/ State Highways like provisions of tourist information centres, picnic spots, rain shelters, toilets, parking space, auto-mobile repair shops etc. has been taken up in the State.
- 3. Environment Protection:** The use of plastic has been banned in the State. Himachal is the first such State in the country which has done it. The use of coal and fossil fuel for heating purpose has also been banned in the Government offices and other institutions in the State to reduce pollution and improve ecology.
- 4. Water Harvesting:** The rain water harvesting tanks have been decided to be built in all the rural households under MGNREGA Programme. It will help meeting water requirements of households to some extent for washing & to provide drinking water to the animals.
- 5. Embryo Transfer Technology:** To improve Quality of livestock & Milk production in the State, Embryo Transfer Technology has been adopted in the State. An Embryo Transfer Technology Lab is being established at Palampur District Kangra.
- 6. Horticulture improvement:** to increase the productivity in horticulture sector Germ- plasma technique, Organic Farming, Anti Hail Nets, Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) has been introduced.
- 7. Land Records Modernization:** With a view to usher a system of updated land records, automated and automatic mutation, integration between textual and spatial records, inter- connectivity between revenue and registration to replace the presumptive title system with that of conclusive titling with title guarantee, State of Himachal Pradesh has decided to implement the National Land Records Modernization Programme.

III. State Innovation Fund: With a view to promote innovation by encouraging departments to try new initiatives, State Innovation fund was instituted by State Government in 2013-14 with year to year basis budget provisions. The guidelines for the implementation of projects under this fund had also been notified and innovative projects of various departments are being funded subject to the availability of funds under this Fund.

Till date, following projects have been approved for funding from State Innovation Fund:

1. Manimahesh Yatra Registration Project 2013 (Rs 15.00 lacs).
2. Blood Bank Management Information System (BBMIS) (Rs 50.12 lacs).
3. Computerization (automation) of the Department of Information & Public Relation activities (Rs 16.00 lacs).
4. Providing of video conferencing facilities in Head Office, Zonal Offices & Tribal Circles in HPPWD (Rs 27.24 lacs).
5. Document Management System of Ration Card Forms- Solution for scanning, indexing and retrieval of ration card forms (Rs 30.75 lacs).

IV. State Innovation Action Plan: Innovation Action Plan to be implemented during 12th Five Year Plan Period in the State has been prepared.

V. Innovation Award Scheme: The State Government had decided to institute awards for Government Departments, Local Governments, Community Development Societies, and Public Sector Units/Autonomous Bodies under Government, NGOs and Individuals for best innovation practices. For this purpose, the detailed scheme viz. “**Himachal Pradesh State Innovation Award Scheme - 2014**” was started and six sectors namely viz. Agriculture/Horticulture, Academic, Food Processing & Manufacturing, Social Development, Tourism and Government Sectors were identified, in the first instance, for awarding the best innovation practices and a provision of Rs. 30.00 lakh (Rs. 5.00 lakh for each sector) was kept for awarding best innovative practices in these identified sectors.

Results Framework Document -Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) in Himachal Pradesh

Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) is a system to both “evaluate” and “monitor” the performance of Government departments. Under PMES each department is required to prepare a Results-Framework Document (RFD).

RFD provides a summary of the most important results that a department expects to achieve during the financial year. This document has two main purposes: (a) shift the focus of the department from process-orientation to results-orientation, and (b) provide an objective and fair basis to evaluate department’s overall performance at the end of the year.

RFD in the State:

To bring more transparency and accountability in government functioning, the HP State Government has adopted Performance Monitoring and Evaluation System (PMES) by preparing Results Framework Document for all Government Departments/Boards/ Corporations etc. Under this system, all Government Department/Organizations are required to prepare a Results Framework Document (RFD) for their department each year with a view to ensure that the agreed objective, policies and programmes are achieved in a time bound manner. This program has been started by the State Government from 2011-12 and the Planning Department is acting as Nodal Department for ensuring implementation of PMES at State level.

At the beginning of each financial year, the guidelines for all the departments are prepared and issued at State level by Planning Department to help these department(s) to prepare Results-Framework Documents (RFD) consistent with these guidelines. Based on the budgetary allocations for a particular year, the draft RFDs are prepared and submitted online by concerned departments through RFMS software on or before a deadline. A preliminary review of these draft RFDs is done at State level through identified and trained Resource Persons and feedback is provided to the departments concerned. Departments are allowed to incorporate the comments/ suggestions of the preliminary review. After the final review of these RFDs at State level by Planning Department, the final versions of all RFDs are uploaded on the websites of the respective Department. All these activities are to be completed within a fixed time schedule which is circulated to them at the start of this whole process. At the end of the financial year, all Departments are required to submit the achievements for the particular year so as to compare them with the fixed targets and determine the composite score. This Composite Score reflects the degree to which the department was able to achieve the promised results. The Composite Scores in respect of all the departments are subsequently uploaded at State level on the website of Planning Department.

To review the PMES process in the State and to make the RFDs more effective and public oriented, a meeting was held in October, 2014 under the Chairmanship of Chief Secretary with all Administrative Secretaries and head of Departments of Major State Department. Success indicators in case of 13 Major Departments viz Agriculture, Horticulture, Industries, RD, Women & Child Development, Elementary Education, Higher Education, Technical Education, Forest, Public Works, Energy, I&PH and Health Departments were discussed at large and more challenging success indicators providing direct benefits to the general public were selected for regular monitoring. During the financial year 2014-15, 54 Departments, Corporations, Boards have prepared RFD in respect of their organizations / institutes.

VIII. SKILL Development :

The work relating to Skill Development is being coordinated by the Planning Department as Administrative Department in the State. During the year 2014-15 following activities has been taken for implementation of Skill Development activities in the State:

- Skill Development Annual Plan 2014-15 was prepared, including the proposals of concerned Departments.
- Review meetings of Skill development activities were conducted time to time under the Chairmanship of Principal Secretary (Planning) / Adviser (Planning) during the year 2014-15.
- A team of India –EU Skill Development Project, NDSA, New Delhi visited the State in the month September , 2014. Field visits and meetings with the concerned Departments were organized.
- To explore the possibility for engaging private skill training providers, Planning Department had organized a workshop on 22nd December, 2014 with the collaboration of National Skill Development Agency (NSDA) in Shimla. In this workshop, Private training providers such as Yashaswi Institute of Technology, Pune, SODEXO, Centurian University of Technical Education & Management, representative of Sikkam Government and concerned departments of Himachal Pradesh participated in the said workshop. The record of discussions of the workshop had been sent to the concerned departments for taking appropriate actions.
- A meeting under the Chairmanship of Chief Secretary was conducted in the month of January, 2015 regarding implementation of Skill Development programmes in the State.
- A team from Asian Development Bank visited the State in the month of February, 2015 for helping the Himachal Pradesh in the area of Skill Development for availing external assistance through Asian Development Bank. For this purpose, a series of meetings and field visits with the line departments were organized. On the basis of feedback from the team of Asian Development Bank, Preliminary Project report (PPR) for “Himachal Pradesh Skill Development Project” amounting to Rs. 939 crore has been prepared for external assistance.

IX. NABARD-RIDF DIVISION:

Rural Infrastructure Development Fund under NABARD programmes extending loan assistance to the State Governments for the completion of ongoing projects/ Really New Schemes in the areas of Medium and Minor Irrigation, Soil Conservation and other Rural Infrastructure Development Projects like Rural Roads and Market Yards, has been implemented in the State since **RIDF-I (1995-96)**. This programme was continued as **RIDF-II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX & XX** in the successive Annual Budgets. Under RIDF-I, NABARD had provided loan assistance **upto 50%** of the balance cost of ongoing projects, and later on, loan assistance was provided **upto 90% / 95%** for new eligible projects under successive RIDF tranches.

2. The State Government is availing NABARD loans under RIDF programme for a wide range of activities. Some of the activities on which the State Government has either got projects approved or has posed projects to NABARD funding are :-

- (i) Construction of Roads and Bridges.
- (ii) Construction of Irrigation schemes.
- (iii) Construction of Flood Protection Works.
- (iv) Construction of Primary School Buildings (under SBVSY).
- (v) Construction of Drinking Water Supply Schemes.
- (vi) Establishment of Citizen Information Centres.
- (vii) E-Governance.
- (viii) Construction of Science Laboratories in Senior Secondary Schools.
- (ix) Watershed Development Projects.
- (x) Strengthening of Animal Health Infrastructure.
- (xi) Production of cash crops through adoption of Precision Farming Practices (Poly Houses and Micro Irrigation).
- (xii) Diversification of Agriculture Through Micro Irrigation and related infrastructure.
- (xiii) Construction of CA Stores.

3. The NABARD has sanctioned total loan assistance of ₹ 5152.61 crore in favour of Himachal Pradesh upto 31st March, 2015. The tranche-wise break-up is given as under :-

| (Rs. in crore) | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Sr. No | Tranche No. | Duration/Phasing Period | No. of Schemes Sanctioned | NABARD Loan Sanctioned | State Contribution | Total Amount Sanctioned |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | RIDF-I | 1995-96 To 1997-98 | 77 | 14.23 | 4.90 | 19.13 |
| 2 | RIDF-II | 1996-97 To 1998-99 | 66 | 52.96 | 6.32 | 59.28 |
| 3 | RIDF-III | 1997-98 To 1999-2000 | 28 | 51.12 | 5.12 | 56.24 |
| 4 | RIDF-IV | 1998-99 To 2000-01 | 66 | 87.81 | 3.48 | 91.29 |
| 5 | RIDF-V | 1999-2000 To 2001-02 | 680 | 110.36 | 6.80 | 117.16 |
| 6 | RIDF-VI | 2000-01 To 2002-03 | 1053 | 127.20 | 10.15 | 137.35 |
| 7 | RIDF-VII | 2001-02 To 2003-04 | 325 | 168.24 | 8.90 | 177.14 |
| 8 | RIDF-VIII | 2002-03 To 2004-05 | 237 | 169.29 | 13.80 | 183.09 |
| 9 | RIDF-IX | 2003-04 To 2005-06 | 182 | 141.70 | 19.35 | 161.05 |
| 10 | RIDF-X | 2004-05 To 2006-07 | 146 | 91.64 | 9.96 | 101.60 |
| 11 | RIDF-XI | 2005-06 To 2007-08 | 266 | 224.67 | 29.73 | 254.40 |
| 12 | RIDF-XII | 2006-07 To 2008-09 | 379 | 272.30 | 36.17 | 308.47 |
| 13 | RIDF-XIII | 2007-08 To 2010-11 | 359 | 308.06 | 32.55 | 340.61 |
| 14 | RIDF-XIV | 2008-09 To 2011-12 | 136 | 424.82 | 28.13 | 452.95 |
| 15 | RIDF-XV | 2009-10 TO 2012-13 | 223 | 454.13 | 36.98 | 491.11 |
| 16 | RIDF-XVI | 2010-11 TO 2013-14 | 186 | 394.53 | 37.16 | 431.69 |
| 17 | RIDF-XVII | 2011-12 TO 2014-15 | 225 | 423.69 | 41.81 | 465.50 |
| 18 | RIDF-XVIII | 2012-13 TO 2015-16 | 164 | 432.16 | 44.32 | 476.48 |
| 19 | RIDF-XIX | 2013-14 TO 2016-17 | 142 | 496.09 | 65.18 | 561.27 |
| 20 | RIDF-XX | 2014-15 TO 2017-18 | 161 | 707.61 | 58.89 | 766.50 |
| | GRAND TOTAL(I TO XX) | | 5101 | 5152.61 | 499.70 | 5652.31 |

4. Against the above sanctioned NABARD loan assistance of ₹ 5152.61 crore, the State Government has received ₹ 3464.94 crore upto 31.03.2015 from the NABARD. The tranche-wise details are as under :-

| (₹ in Crore) | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Tranche No. | NABARD's Loan Sanctioned | Tranches-wise loans availed | | | %age of loan availed |
| | | 1995-96 to 2013-14 | 2014-15 (upto 31-03-15) | Total | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| RIDF-I | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 100.00 |
| RIDF-II | 52.96 | 52.84 | 0.00 | 52.84 | 99.77 |
| RIDF-II | 51.12 | 49.43 | 0.00 | 49.43 | 96.69 |
| RIDF-IV | 87.81 | 79.14 | 0.00 | 79.14 | 90.13 |
| RIDF-V | 110.36 | 108.09 | 0.00 | 108.09 | 97.94 |
| RIDF-VI | 127.20 | 127.88 | 0.00 | 127.88 | 100.53* |
| RIDF-VII | 168.24 | 174.79 | 0.00 | 174.79 | 103.89* |
| RIDF-VIII | 169.29 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 90.97 |
| RIDF-IX | 141.70 | 111.59 | 0.00 | 111.59 | 78.75 |
| RIDF-X | 91.64 | 78.82 | 0.00 | 78.82 | 86.01 |
| RIDF-XI | 224.67 | 210.46 | 0.00 | 210.46 | 93.68 |
| RIDF-XII | 272.30 | 256.67 | 2.39 | 259.06 | 95.14 |
| RIDF-XIII | 308.06 | 221.26 | 7.82 | 229.08 | 74.36 |
| RIDF-XIV | 424.82 | 349.07 | 12.57 | 361.64 | 85.13 |
| RIDF-XV | 454.13 | 332.51 | 31.10 | 363.61 | 80.07 |
| RIDF-XVI | 394.53 | 273.04 | 28.98 | 302.02 | 76.55 |
| RIDF-XVII | 423.69 | 205.75 | 68.91 | 274.66 | 64.83 |
| RIDF-XVIII | 432.16 | 156.60 | 37.99 | 194.59 | 45.03 |
| RIDF-XIX | 496.09 | 108.77 | 52.15 | 160.92 | 32.43 |
| RIDF-XX | 707.61 | 0.00 | 158.09 | 158.09 | 22.34 |
| Total :- | 5152.61 | 3064.94 | 400.00 | 3464.94 | 67.25 |

* The disbursement figure exceeded sanction since advance earlier paid/released was not adjusted in future draws.

5. **Year-wise detail of Reimbursement availed under RIDF Programme from 1995-96 to 2014-15**

| Year | Reimbursement Availed (₹ in crore) |
|--------------|---|
| 1995-96 | 1.60 |
| 1996-97 | 5.31 |
| 1997-98 | 35.44 |
| 1998-99 | 40.65 |
| 1999-00 | 56.01 |
| 2000-01 | 106.92 |
| 2001-02 | 116.44 |
| 2002-03 | 141.58 |
| 2003-04 | 142.35 |
| 2004-05 | 83.17 |
| 2005-06 | 125.09 |
| 2006-07 | 140.38 |
| 2007-08 | 200.00 |
| 2008-09 | 220.00 |
| 2009-10 | 300.00 |
| 2010-11 | 294.49 |
| 2011-12 | 305.51 |
| 2012-13 | 400.00 |
| 2013-14 | 350.00 |
| 2014-15 | 400.00 |
| Total | 3464.94 |

6. **Loan Sanction Target & Achievement (from 2006-07 to 2014-15) :-**
(₹ in crore)

| Sr. No. | Year/Tranche | Loan Sanction Target | Achievements | % age |
|----------------|---------------------|---|---------------------|--------------|
| 1. | 2006-07 (XII) | 277.00 | 273.48 | 98.73 |
| 2. | 2007-08 (XIII) | 298.00 | 299.26 | 100.42 |
| 3. | 2008-09 (XIV) | 406.00 | 425.12 | 104.71 |
| 4. | 2009-10 (XV) | 398.00 | 454.50 | 114.20 |
| 5. | 2010-11 (XVI) | 400.00 (HPC Approved) 560.00 (NABARD) | 412.90 | 103.22 |
| 6. | 2011-12(XVII) | 400.00 (HPC Approved) 540.00 (NABARD) | 423.69 | 105.92 |
| 7. | 2012-13(XVIII) | 400.00 (HPC Approved) 500.00 (NABARD) | 432.16 | 108.04 |
| 8. | 2013-14(XIX) | 475.00 (HPC Approved) | 496.09 | 104.44 |
| 9. | 2014-15 (XX) | 765.00 | 707.61 | 92.50 |

7. The Planning Department is the Nodal Department for selection, approval and monitoring of the projects sanctioned under the RIDF programme.

8. Details of RIDF review meetings held during the year 2014-15:

| Sr. No. | Name of the Meeting | Date and Place of meeting | Under the Chairmanship |
|----------------|---------------------------------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Meeting with Chairman, NABRD. | 11 th April, 2014 (Shimla) | Chief Secretary to the GoHP. |
| 2. | 43 rd HPC meeting on RIDF. | 4 th July, 2014 (Shimla) | Chief Secretary to the GoHP. |
| 3. | MLAs meetings | 23 rd and 24 th January, 2015 (Shimla) | Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh. |

In addition to above mentioned meetings, bi-monthly review meetings were held in the regional office, NABARD Shimla. The representatives of implementing departments, NABARD and Planning Department attended these meetings. The scheme wise physical and financial progress of each department was reviewed and monitored in these meetings and implementing departments were advised to take corrective actions where required. Besides, review meetings are also held at District level by the Deputy Commissioners.

X. 20-POINT PROGRAMME-2006 DIVISION:

The Twenty Point Programme (TPP) was launched by the Government of India in 1975 and re-structured in 1982, 1986 and again in 2006. The restructured programme is called Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) and is being implementing in the State as per the guidelines issued by Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, from time to time.

The programme aims at eradicating poverty and improving the quality of life of rural and urban poor people. The Twenty Point Programme covers various socio-economic aspects like poverty eradication, employment, education, housing, health, agriculture, land reforms, irrigation, drinking water, protection and empowerment of weaker sections, consumer protection, environment, e-governance, etc.

The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI) monitors the Programme / schemes covered under TPP-2006 at National level on the basis of performance report received from State Government and Central Nodal Ministries.

The restructured TPP-2006 consists of 20 points and 65 monitorable items. All the 65 items of TPP-2006 are not meant for reporting on a monthly basis. The items vary from State to State and from year to year. The performance of the States in the implementation of Twenty Point Programme-2006 was being ranked by

the Government of India till 2009-10 and the ranking has been stopped thereafter.

Each monitorable item is categorized in the category of “Very Good”, “Good” and “Poor” on the basis of monthly/yearly performance as follows:-

| Sr. No. | Percentage achievement | Category |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | 90% or more | Very Good |
| 2. | 80% to 90% | Good |
| 3. | Below 80% | Poor |

Planning Department, Himachal Pradesh has been declared as a nodal department for coordination, review, monitoring and reporting of monthly / quarterly / half yearly / annual progress reports of Twenty Point Programme-2006 (TPP-2006) since 2007. The Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI), GoI vide letter No 1/18/2005-TPP dated 12/09/2014 has decided to compile the progress report on quarterly basis (instead of monthly basis).

Himachal Pradesh has had an excellent track record in the implementation of Twenty Point Programme. The year-wise position of the State in respect of implementation of TPP-2006 at National level remained as follows:-

| Sr. No. | Year | Position / Grade of HP at National Level |
|----------------|-------------|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | 2006-07 | Ranked First |
| 2. | 2007-08 | Graded at Second |
| 3. | 2008-09 | Adjudged 3 rd |
| 4. | 2009-10 | Rated on 1 st Position |
| 5. | 2010-11 | Placed at the Top in the “ Very Good Category ” |
| 6. | 2011-12 | Placed at the Top in the “ Very Good Category ” |
| 7. | 2012-13 | “ Very Good ” in all items except Road Construction (PMGSY) which was ranked “ Good ” (80% to 90%). |
| 8. | 2013-14 | Placed in the Very Good Category |

In order to inculcate the spirit of competition among the districts for the effective implementation of TPP-2006, the State Government is ranking the performance of each district. Based on the ranking, an award of Rs. 50.00 lakh, Rs. 30.00 lakh and Rs. 20.00 lakh respectively for first, second and third ranked district(s) is being given as an incentive. The incentive money is used for the various developmental works of the concerned district(s).

Based on the performance during 2013-14, six districts, viz; Bilaspur, Kangra, Lahaul & Spiti, Sirmour, Solan and Una have jointly shared 1st rank in inter

district ranking analysis of TPP. The award money of Rs. 1.00 crore was distributed among these districts in the following manner:-

| Sr.No. | Name of the district | Amount (Rs. In lakh) |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bilaspur | 16.67 |
| 2. | Kangra | 16.67 |
| 3. | Lahaul & Spiti | 16.66 |
| 4. | Sirmour | 16.67 |
| 5. | Solan | 16.67 |
| 6. | Una | 16.66 |
| | Total | 100.00 |

The State Government gives top priority for the effective implementation and achievement of TPP targets. The performance of TPP is regularly monitored at State, District and below district levels.

The District Planning, Development and 20 Point Programme Review Committees headed by the Chief Minister/Minister/MLA of all the districts reviewed the progress of TPP in their quarterly review meetings. Besides, Deputy Commissioners / Additional Deputy Commissioners / Additional District Magistrates / District Planning Officers review and monitor independently the progress of TPP with the concerned district level officers of the concerned districts in the various meetings.

At the State level, the progress of TPP was reviewed in the various meetings held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Chief Secretary, Addl. Chief Secretary (Planning) and Adviser (Planning), HP.

Due to the vigorous monitoring at State and below State level, most targets for the year 2014-15 allocated by the Ministry of Statistics & Programme Implementation (TPP Division), GoI, are expected & have been achieved.

XI. RAILWAY DIVISION:

The history of Railways in Himachal Pradesh goes back to the last decade of nineteenth century, when a survey of the train in 1895 for 96 kilometers long Kalka-Shimla narrow gauge rail track paved way for signing the construction contract on June 29, 1898. The work on the Kalka-Shimla route was completed on November 2, 1903 and it was opened for the general public only on January 1, 1906.

Another Pathankot-Joginder Nagar narrow gauge rail track has a length of about 181 kilometers. The work on this line started in 1926. Three years later, 163 km. long route was opened to traffic.

The various issues of following rail lines were taken up with the concerned authorities during the year 2014-15:-

1. Bhanupalli-Bilaspur-Beri Broad Gauge (BG) Rail Line (63.1 Kms)

The cost of this rail line had been revised from Rs.1046.00 crore to Rs. 2967.00 crore (as per 2015-16 final budget estimate). In the State Cabinet meeting held on 5-12-2013, the State Government has decided to agree with the sharing pattern as per the CCEA decision. The decision of CCEA is as follows:-

1. 25% - cost to be borne by State Government (This will include land acquisition assessed to be Rs. 70 crore. Any increase in land cost will have to be refunded by the State Government).
2. 25% - cost to be borne by Ministry of Railways through normal GBS.
3. 50% - cost will be met through Additionality by Ministry of Finance, Government of India.

The sharing will be on completion of the project.

The decision of the State Government was conveyed to the Ministry of Railways, New Delhi which has been requested to make sufficient budget provision for this Railway Line. Ministry of Railways had transferred the execution of the hilly portion of Bhanupalli – Bilaspur - Beri new line to RVNL. But it had been informed that this project has been transferred back to Northern Railway vide Railway Board letter dated 13-1-2015. State Government had requested the Chairman, Railway Board, New Delhi to reconsider their decision and let RVNL execute the project to ensure early completion. Chairman and MD RVNL has informed vide letter dated 10-04-2015 that Railway Board has again transferred the Bhanupalli-Bilaspur-Beri new BG rail line to RVNL for execution. He has further informed that tender for final location survey and geological studies are already under advanced stage of finalization.

Indian Railways has proposed the following budget for this rail line in the Railway Budget 2015-16:-

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| Capital | = | Rs. 120 crore |
| EBR (PPP) | = | Rs. 40 crore |
| Total | = | <u>Rs. 160 crore</u> |

2. Chandigarh-Baddi Rail Line (33.23Km.)

In the State Cabinet meeting held on 5-12-2013, the State Government had decided that 50% of the project cost in respect of this rail line will be borne by the State Government. Railway Board has been informed about this decision and was requested to make sufficient provision for the rail line and to start the work. State Government has released State Share amounting to Rs. 2 crore during the year 2014-15 to Northern Railway, Chandigarh for this rail line. Northern Railway Chandigarh informed that an estimate of Rs. 1672.29 crore has been sent to Northern Railway, New Delhi for approval. The construction work of this rail line will be started after the completion of land acquisition process for this project. Review meetings were held and correspondence was exchanged with the Railways and other related authorities during the year.

Indian Railways has proposed the following budget for this rail line in the Railway Budget 2015-16:-

| | |
|--------------|------------------------------|
| Capital | = Rs. 10 crore |
| EBR (IF) | = Rs. 15 crore |
| EBR (PPP) | = <u>Rs. 70 crore</u> |
| Total | = <u>Rs. 95 crore</u> |

3. Nangal-Talwara Broad Gauge Rail line (83.74 Kms.)

Total length of this rail line is 83.74 km. 62 km track falls in Himachal Pradesh, out of which 44 km has been opened for traffic upto Amb-Andaura. Completion cost of this project is around Rs. 1,200 crore.

The survey work of last section (5 Km length) Daulatpur to Mandwara (Kartoli) has been completed. The Railways had requested the State Government to share the 50% of the remaining project cost. The state Government has expressed its inability to do so due to the limited resources of the State. The land acquisition work of this section is in progress.

Indian Railways has proposed an amount of Rs. 100 crore (in capital) for this rail line in the Railway Budget 2015-16.

4. Bilaspur-Leh via Manali Broad Gauge (BG) Rail Line (498 Km.)

To boost the economy of the region, besides ferrying of essential items to the border areas and ensuring strategic supplies to armed forces, Himachal Pradesh Government had taken up the matter of construction of this rail line with the Ministry of Railways and Ministry of Defence. As per the survey report, the cost of construction of this 498 Km long rail line has been assessed as Rs. 22831 crore with a rate of return of (-) 4.26%.

State Government is repeatedly requesting Government of India that this is an important project from **National Security Point of View which will help Armed Forces** for moving men, material and machinery to the border areas. Therefore, the project needs to be given top priority.

No budget provision has been made for the construction of this project in the Union Railway Budget 2015-16.

5. Ghanauli-Dehradun via Baddi-Nalagarh-Jagadhari-Surajpur-Kala Amb Paonta Sahib Rail Line.

A Broad Gauge rail line from Ghanauli-Baddi-Kala Amb-Paonta-Dehradun had been announced in the Railway Budget for 2010-11 under socially desirable rail lines. State Government had requested Railway Ministry to expedite the survey work of this rail line.

No budget provision has been made for the construction of this project in the Union Railway Budget 2015-16.

6. Conversion of Pathankot-Joginder Nagar Narrow Gauge Rail Line and its further extension upto Leh via Mandi & Manali.

The State Government has taken up the proposal with the Ministry of Railways to convert the Pathankot-Jogindernagar Narrow Gauge rail line into Broad Gauge rail line and extend it upto Leh-Ladakh because of its strategic importance for the country and for ensuring uninterrupted and timely supply of ration and machinery to armed forces deployed in the Leh-Ladakh region near the Indo-China border.

The survey for gauge conversion of this 181 Km long narrow gauge section carried by Railways, has estimated the cost of conversion as Rs. 2888 crore (with diesel traction) and Rs. 3280 crore (with electric traction). Railway Board had requested the State Government to share 33% cost of construction and to provide land free of cost for conversion of this rail line. State Government has expressed its inability to bear this cost due to limited state resources. State Government has requested the Ministry of Railways to declare this rail line as a project of '**National Importance**' keeping in view its strategic importance especially from defence point of view. The issue of conversion of this rail line from Narrow Gauge to BG was taken up during the year 2014-15 with Government of India and it was also requested to provide adequate budget provision.

No budget provision has been made for the construction of this project in the Union Railway Budget 2015-16.

XII. EVALUATION DIVISION :-

Evaluation Division of Planning Department is entrusted with the evaluation work of different plan schemes and projects. The objective of the evaluation is to make assessment of the implementation process, identify bottlenecks and gaps in implementation of the schemes and programmes and based on these findings, suggest remedial measures to make implementation process more effective. A Technical Advisory Committee has been constituted at State level to consider evaluation proposals of different implementing agencies.

During the year 2014-15 one evaluation study namely Evaluation study on Technical Institution situated in Himachal Pradesh has been entrusted to the evaluation division. The work of the study is in progress.

XIII. MLA PRIORITY DIVISION:

The following tasks were assigned and performed by the MLA Priority Division during the financial year 2014-15:-

1. The minutes of MLAs meetings held during 2013-14 were issued to all the departments / organizations for taking suitable follow-up actions. The action taken report of these meetings was obtained from the concerned departments. The ATR was consolidated and circulated to all the concerned MLAs for their information.
2. The Hon'ble MLAs meetings under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, HP were convened to determine the priorities for the Annual Plan 2015-16. These meetings were convened on 23rd and 24th January, 2015. The minutes of these meetings were issued to all concerned for taking suitable follow-up action under intimation to the concerned Hon'ble MLA and Planning Department.
3. As per the approved policy of the State Government, Hon'ble MLAs prioritize two schemes each under three sectors i.e. **Roads & Bridges, Minor Irrigation and Rural Drinking Water Supply** for "**Really New Schemes (RNS)**" and "**Ongoing Schemes**". Therefore, six schemes under RNS and six under Ongoing Schemes are prioritized by the each Hon'ble MLAs for every financial year. However, Hon'ble MLAs are at liberty to change inter sectoral priorities with in the above mentioned three sectors i.e. he may give six priorities in one or two or three sectors. Accordingly, the MLAs priorities were collected, consolidated and finally printed as "नव व्यय अनुसूची के परिशिष्ट (योजना) माननीय विधायकों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताएं वर्ष 2015-16". It is one of the State Annual Budget Documents 2015-16.

4. The works related to MLAs priority is of a vibrant/dynamic nature. Throughout the year the proposals for substitution of schemes were received from the various Hon'ble MLAs. The actions on the substitution proposals were taken as per the approved policy of the State Government. The implementing departments were asked to take the follow-up action accordingly. The concerned Hon'ble MLAs were also informed about the decisions taken in each substitution case.

XIV. COMPUTERISATION DIVISION:

Computerisation Division has been constituted for fulfilling the computer needs of Planning Department. All the reports / publications published by the Planning Department are processed on computer and later on get printed on off-set in Printing Press. This division has been catering the needs of software development for the department and has developed the following softwares for different Divisions of Planning Department :-

1. Modifications/Updation of GN Software for Annual Plan 2014-15 and Five Year Plan
2. Modifications/Updation of RIDF Software.
3. Modifications/Updation of MLA Priority Schemes Software.
4. Development of State Innovation Council Software.
5. Document of Draft Annual Plan 2014-15.
6. Modification/Updation on Payroll/ADA/Pay Scale Arrear of Department.
7. MLA Priority Schemes Data Entry.
8. Backward Area Sub-Plan, District/SOE-wise allocation of budget outlays.
9. Evaluation Study Reports on various Plan Programmes/Schemes.
10. Modification/Updation of Income Tax Statements Software.
11. Computerisation of Hon'ble MLAs Priority Schemes for the year 2014-2015.
12. Fact Book on Manpower Publications.
13. Power Point Presentation on various meetings in the department.
14. Twenty Point Programme Quarterly Document.
15. Development of Department Web site and site maintenance/updation.
16. Assistance to all Divisions of Department about hardware and software application.
17. Results Framework Document Monitoring.
18. e-Despatch Monitoring.

19. e-service book of all employee of department
20. eVitran – Himkosh working
21. MIS ACA/SPA on Central Assistance (Planning Commission).
22. MPLADs Software Monitoring.
23. Decentralized MIS Software Monitoring.
24. E-Vidhan work / Monitoring

3.3. DISTRICT OFFICES :

District Planning Cells have been created in all the ten Non-Tribal districts of the State. These offices are functioning under the control of the concerned Deputy Commissioners. The Additional Deputy Commissioner / Additional District Magistrate, as the case may be, has been declared as Chief Planning Officer. The District Planning Cells are headed by the District Planning Officers. They are functioning as Drawing & Disbursing Officers at district level. The following staff has been provided in District Planning Cells :-

1. District Planning Officer.
2. Credit Planning Officer.
3. Assistant Research Officer.
4. Statistical Assistant.
5. Sr. Assistant (three posts each in District Shimla, Mandi and Kangra).
6. Steno-Typist.
7. Clerk.
8. Peon.

All the decentralized planning programmes such as VMJS, SDP, VKVNY, MMGPY, MPLADs, BASP, etc are being implemented at district level through the concerned District Planning Cell. The collection of data for evaluation studies carried out by the department are also collected through District Planning Cells at district level. District Planning Cells have been assigned the job of monitoring and reviewing of ongoing Plan Schemes, 20-Point Programme and all decentralized programmes mentioned above through District Planning, Development and Twenty Point Programme Review Committees on quarterly basis. District Planning Officers function as Public Information Officer of Planning Department at district level. District Planning Cells have proved extremely useful at district level in fulfilling the objective of decentralization of planning process of the State Government. All assignments of the department required to be undertaken at district level are performed through District Planning Cells.

4. INFORMATION UNDER RTI ACT-2005:

Information related to the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act.2005.

| | | |
|------|--|---|
| (i) | Particulars of organization, functions and duties. | Please see heading : 1. BACKGROUND AND INTRODUCTION and 3. ORGANISATIONAL STRUCTURE” of the report |
| (ii) | Powers and duties of its Officers and Employees. | <p><u>Adviser (Planning):</u> Overall administrative and financial control of the Department. He helps Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP in discharging various responsibilities to achieve organizational goals. Adviser (Planning) works under the overall control of Addl. Chief Secretary (Planning) to the GoHP.</p> <p><u>Joint Director (Planning):</u> He has been declared as Head of Office of Planning Department. He assisted Adviser (Planning) in discharging various responsibilities and accomplished tasks related to formulation, implementation and liaising with the Planning Commission, Government of India assigned to him from time to time.</p> <p><u>Deputy Directors:</u> The Deputy Directors headed various Divisions such as Plan Formulation, Plan Implementation, Project Formulation, Evaluation, Employment, Computerization, Administration, Regional and District Planning, Backward Area Sub-Plan, Twenty Point Programme, Railways, MLA Priorities, RIDF and RFD. They assisted the Adviser (Planning) in discharging various responsibilities to achieve organizational goals.</p> <p><u>Research Officers:</u> The Research Officers assist the Deputy Directors and control the staff deployed in various Divisions. All the files are routed to Deputy Directors through Research Officers.</p> <p><u>District Planning Officers:</u> The staff provided to the District Planning Officers and duties performed by them are given under heading “3.3. DISTRICT OFFICES”.</p> <p><u>Assistant Research Officers:</u> Deal with the various works/proposals/correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the higher level.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><u>Statistical Assistants:</u> Deal with the various works / proposals / correspondence and submit the same with their comments to the Research Officers for taking decisions at the Higher level.</p> <p><u>Computer:</u> They perform their duties and functions as assigned to them by the Research Officers.</p> <p><u>Program Planning Officer (PPO):</u> The PPO is the in-charge of the Computer Cell. He helps in developing software as per the requirement of the department and all other computer related jobs.</p> <p><u>Computer Operators :</u> They assist the PPO in software development, data feeding and render the computer related technical help and guidance to the department.</p> <p><u>Superintendent Gr.-I:</u> The post of Superintendent Grade-I has been created in the Administration Division of this department for efficient implementation of Administrative works of this division.</p> <p><u>Superintendent Gr.-II:</u> All the Senior / Junior Assistants and clerks of Administration Division submit the files through Superintendent Gr.-II. He puts up the files to Superintendent Gr.-I/ DDO / Joint Director (Administration) for final decision at appropriate level.</p> <p><u>Senior Assistants / Junior Assistants:</u> Deals with administrative, personnel, budget, organizational, etc matters and also works assigned by Superintendent / DDO / Higher Officers.</p> <p><u>Clerks :</u> Perform duties and functions as assigned to them by DDO / Spud. Gr.-II including the work of diary despatch of the Department.</p> <p><u>Personal Assistant / Sr. Scale Stenographer / Jr. Scale Stenographers:</u> Perform duties with Head of Department, Joint Directors / Deputy Directors, such as dictation / typing work / attend to the telephone calls, handle the files / records of confidential or secret nature and any other work assigned by the officer.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|---|
| | | <p>Steno Typists: Perform duties of dictation and typing work with the officers. Ten posts of Steno-Typists are sanctioned in the ten Non-Tribal Districts and they performed their duties with the District Planning Officers in the Districts.</p> <p>Duplicating Machine Operator: To operate the Photostate machines of the Department.</p> <p>Peons: They perform the duties as per office manual.</p> <p>Chowkidar : Keeps watch and ward during and after office hours of all the office rooms of the department. He is also responsible for all precautionary measures relating to prevention of fire and damage to Government property.</p> <p>Sweeper: To sweep, clean and mop the rooms, corridors, verandahs. Clean lavatories, urinals, washbasins, etc daily and properly. To collect and dispose off all waste in the office.</p> |
| (iii) | Procedure followed in the decision making process including channels of supervisions and accountability. | <p>Adviser (Planning) exercises all the powers of Head of Department. All the officers of the department assist him in taking decisions and disposing of the normal work of the department.</p> <p>The HOD assigns the duties to the various officers. The files move to the Adviser (Planning) through the Joint Director/ Divisional Heads for final decision/ disposal. Divisional Heads are responsible and accountable for supervision and timely disposal of work in respect of their division. (s)</p> |
| (iv) | Norms set by it for the discharge of its functions. | Different functions of the Department at various levels are performed in accordance with the rules / policies and delegation of powers made by the Government / HOD from time to time. |
| (v) | Rules, Regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions. | <p>The brief of Rules, Regulation, Instructions, manual held by the Department are as under:-</p> <p>CCS Leave Rules, 1972.</p> <p>CCS and CCA Rules</p> <p>HPFR Rules</p> <p>FR & SR Rules</p> <p>Medical Attendance Rules</p> <p>House Building Advance Rules</p> <p>L.T.C. Rules</p> <p>Budget Manual</p> <p>Office Manual</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <p>Pension Rules GPF Rules</p> <p>Guidelines for implementation of the following programmes:- Sectoral Decentralized Planning (SDP) Vikas Mein Jan Sahyog Program (VMJS) Vidhayak Ksehetra Vikas Nidhi Youna (VKVNY) Mukhya Mantri Gram Path Yojna (MMGPY) Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADs) Backward Area Sub Plan (BASP) Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) Externally Aided Projects (EAPs) District Innovative Fund (DIF)</p> <p>Guidelines/instructions issued by the Government from time to time are uploaded on the website of Planning Department can be used by officers and officials for discharging their functions and duties. The Administrative report containing the programmes alongwith organizational structure detail is uploaded on the website of Planning Department.</p> |
| (vi) | Statement of the Categories of the documents that are held by it or under its control. | Five year Plans / Annual Plans, Evaluation studies on different Plan Programmes / schemes, Fact book on Man Power & Employment, Mid Term Review of Five Year Plans. MLA Priorities Schemes document, Twenty Point Programme Quarterly District Ranking Analysis Reports and Annual Administrative Report. |
| (vii) | The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof. | The State Government has constituted HP State Planning Board, State Level Planning Development Twenty Point Programme Review Committee at State level and District Planning Development and Twenty Point Programme Review Committee at District level as well as Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review and Public Grievance Committees at Sub Divisional level. Public representatives have been nominated by the State Government in these committees. Nominated public representatives give their opinion / suggestions regarding policy formulation and implementation at State, District and Sub Divisional level. Apart from this, MLAs meetings to identify the State Annual Plan priorities are also held. Hon'ble MLAs give their valuable suggestions regarding formulation of policies, programmes and implementation. |

| | | |
|--------|---|---|
| (viii) | A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public. | <p>The following Boards / Committees have been constituted in the department:-</p> <p>Himachal Pradesh State Planning Board.</p> <p>State Level Planning, Development & Twenty Point Program Review Committee.</p> <p>District Level Planning Development & Twenty Point Program Review Committees (DPDCs) in all Districts.</p> <p>Sub-Divisional Level Planning Development, Twenty Point Programme Review & Public Grievance Committees.</p> <p>Meetings of these committees/Boards are not open for public. However, public can have access to the minutes by formally applying for it.</p> |
| (ix) | A directory of its officers and employees; | Detail given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” . |
| (x) | The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations; | The Officers and the employees appointed in the Department get the Pay Band and Grade Pay as granted by the Government from time to time. Pay Band & Grade Pay of the posts are given under heading “2. STAFF POSITION OF PLANNING DEPARTMENT” . |
| (xi) | The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made; | The Planning Department allocates funds on quarterly basis to the implementing departments and Deputy Commissioners for plan schemes and other various decentralized planning programmes according to the guidelines, formula and instructions issued by State Government from time to time. The division-wise details of goals, objectives, programmes, allocation, expenditure, etc. have been given in the write-up of the each divisions. |
| (xii) | The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes; | There is no subsidy programme being executed directly by the department. |

| | | |
|--------|--|---|
| (xiii) | Particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it, | Not applicable. Only Plan budget authorizations to incur an expenditure are granted by the Planning Department to all the implementing departments (concerned with Plan) and Deputy Commissioners. |
| (xiv) | Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form; | The Department has developed its own Website and the information relating to the various activities of the Department is available on the website http://hp_planning.nic.in . |
| (xv) | The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use. | The Public can have information from the district offices of Planning Department or its Headquarters i.e. Yojna Bhawan, HP. Sectt. Shimla-2 from 10.00 A.M to 5.00 P.M in 6 days in a week except on public holidays. |
| (xvi) | The names, designations and other particulars of the Public Information Officers; | Information is given below. |
| (xvii) | Such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year. | Nil |

Particulars of the APIOs, PIOs and Appellate Authority in Planning Department, HP.

| Sl. No | Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority | Designation | Address with Telephone No. | Jurisdiction/Unit under his control for which he will render information to applicants |
|--|--|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| (A) SECRETARIAT LEVEL | | | | |
| 1. | Sh. Uttam Singh, Public Information Officer. | Joint Secretary (Plg.) to the Govt. H.P | Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2628504 | Planning Department at Secretariat level. |
| 2. | Dr. Shri Kant Baldi Appellate Authority | Addl. Chief Secretary (Planning) to the Govt. H.P. | Armsdale Building H.P. Sectt. Shimla-2. Tel. No. 2620043 | Planning Department at Secretariat level. |
| Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 27-06-2009 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" (Act No. 22 of 2005). | | | | |
| (B) STATE LEVEL | | | | |
| 1. | Sh. H.K. Singh, Public Information Officer. | Research Officer (Administration) | Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No.2880876 | Planning Department at State level. |
| 2. | Sh. Diwan Chand, Assistant Public Information Officer | Supdt. Grd. II | Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2620563 | Planning Department at State level. |
| 3. | Sh. Akshay Sood Appellate Authority | Adviser (Planning) | Armsdale Building, Yojna Bhawan, H.P. Sectt. Shimla-2 Tel.No. 2621698 | Planning Department at State level. |
| Notification No. PLG.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 and dated 16-04-2010 under section 5 and 19 of "Right to Information, Act 2005" . | | | | |

| Sr. No | Name of Authority i.e. APIO / PIO / Appellate Authority | Designation | Address with Telephone No. | Jurisdiction / Unit under his control for which he will render information to applicants |
|--|--|---------------------------|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| (C) DISTRICT LEVEL | | | | |
| 1. | Sh Tara Chand Chauhan, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Shimla Telephone No. 0177-2808399 | Concerned District. |
| 2. | Sh. Pardeep Purta, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Solan Telephone No. 01792- 220697 | Concerned District. |
| 3. | Sh. Anuj Kumar, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Siamrur at Nahan Telephone No. 01702-223008 | Concerned District. |
| 4. | Sh. Gautam Chand Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Una. Telephone No. 01975-226057 | Concerned District. |
| 5. | Sh. Ravinder Katoch , Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Kangra at Dharamshala Telephone No. 01892-223316 | Concerned District. |
| 6. | Sh. Tej Singh Thakur Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Mandi Telephone No. 01905-225212 | Concerned District. |
| 7. | Sh. Vinod Kumar Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Chamba Telephone No. 01899-226166 | Concerned District. |
| 8. | Smt. Mukta Thakur, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Bilaspur Telephone No. 01978-222668 | Concerned District. |
| 9. | Sh. Kuldeep Singh Chauhan, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Kullu Telephone No. 01902-222873 | Concerned District. |
| 10 | Sh. Rajiv Kumar, Public Information Officer | District Planning Officer | District Planning Cell, DC Office Hamirpur Telephone No. 01972-222702 | Concerned District. |
| Notification No. Plg.A(3)4/2005 dated 22-12-2005 for implementation of “Right to Information, Act 2005”. | | | | |